# आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण

# सरकारी विभागों के लिये गतिविधियों की पहचान

अप्रैल, 2006

आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना

## प्रस्तावना

भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 को अधिनियमित कर दिया है । इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन योजना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है । अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग को अपने वार्षिक बजट में आपदा प्रबंधन योजना में वर्णित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु प्रावधान भी करना है। बिहार आपदा प्रबंधन अधिनियम–2004 के द्वारा भी प्रत्येक नगर निगम/नगर पालिका/ स्थानीय निकाय एवं पंचायत के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जानी है । इसके पूर्व भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन पर उच्च शक्ति समिति ने प्रत्येक विभाग को अपनी आपदा प्रबंधन योजना हेतु कुछ निर्धारित प्रतिशत योजना उद्व्यय कर्णाकिंत करने की अनुशंसा की थी । योजना आयोग की दसवी योजना के दस्तावेज में आपदा प्रबंधन योजना पर एक अलग अध्याय शामिल है ।

बिहार में आपदा प्रबंधन अब तक एक गैर योजना गतिविधि रही है। मगर अब कानूनी ढांचा लागू हो जाने के कारण प्रत्येक विभाग के लिये आपदा प्रबन्धन योजना बनाना अनिवार्य हो गया है । आपदा जोखिम न्युनीकरण के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आपदा प्रबन्धन को विकास कार्यक्रमों से अलग नहीं देखा जाए बल्कि इसे एक समेकित बहुआयामी गतिविधि के रूप में कार्यान्वित किया जाय। केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकार तथा जिला आपदा प्राधिकार गठित करने का प्रावधान किया गया है । विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबन्धन योजनाओं को राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है ।

आपदा प्रबन्धन योजना का सूत्रीकरण अनिवार्य हो जाने के कारण अब यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग के लिए संगत

गतिविधियों की पहचान की जाय, जिसका एक प्रयास यहां किया गया है । यह संकलन मात्र सुझाव के लिए है एवं विभाग विशेष द्वारा गतिविधियों की सूची संशोधित तथा स्वयं पहचान करने की स्वतंत्रता को किसी प्रकार बाधित नहीं करता है । संकलन में दी गई कई गतिविधियां क्षेत्रीय योजना हेतु भी संगत होगी । इन गतिविधियों की सूची को विभिन्न विभाग अपनी आपदा प्रबन्धन योजना एवं सामान्य योजना को समन्वित करने में उपयोग कर सकते हैं; हालाकि इनमें से कई गतिविधियों का कार्यान्वयन विभाग द्वारा सामान्यतः पूर्व से ही किया जा रहा होगा । क्षेत्रीय स्तर की गतिविधियों के लिये भी योजना बनने की आवश्यकता हागी, क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार जिला स्तर की योजना तैयार करनी है एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकार की उनका अनुमोदन प्राप्त करना है ।

आपदा प्रबन्धन विभाग के द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकारों के गठन हेतु प्रारम्भिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है एवं वे शीघ्र ही कार्यान्वित हो जायेंगे । यह आशा की जाती है कि यह अभिलेख विभागों को वर्ष 2006–2007 की योजना में आपदा प्रबन्धन की गतिविधियों को शामिल करने में उपयोगी होगा । एक सुदृढ सम्वेदनशील एवं समेकित आपदा प्रबंधन व्यवस्था राज्य में लागू करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन विभाग इन गतिविधियों की सूची को समय समय पर अद्तन एवं परिशोधित करने का प्रयास करता रहेगा । इस अभिलेख को संकलित करने में आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव ''डा0 सतेन्द्र'' ने अथक परिश्रम, तन्मयता से प्रयास किया है, जिसके लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है ।

पी0के0 वसु,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

# भूमिका

विश्व–व्यापी आकड़ें दर्शाते है कि पिछले कुछ दशकों में प्राकृतिक आपदाओं की आवृति पूर्व की अपेक्षा से अधिक एवं ज्यादा विघ्वन्सकारी रही है। मौसम से संबंधित आपदाओं का वार्षिक औसत 1993–1997 में 200 की अपेक्षा 1998–2002 में 331 प्रतिवर्ष था तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जनसंख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । 2002 में 60 करोड़ जनसंख्या इनसे प्रभावित हुई जबकि उसके पूर्व दशक में बार्षिक औसत 20 करोड़ था । 1990 के दशक की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं से हुई मौतों में हालाकि कमी हुई है (2002 में चौबीस हजार पॉच सौ मौतें प्रतिवेदित हुई थी; जबकी उसके पूर्व के दशक में वार्षिक औसत बासठ हजार मौतें थी ); मगर हाल के सुनामी तथा जम्मू – काश्मीर तथा पाकिस्तान को भूकंप ने प्रदर्शित किया है कि गंभीर आकस्मिक आपदायें कभी भी घटित हो सकती है । इन दोनों नवीनतम् आपदाओं ने वर्त्तमान आपदा प्रबंधन व्यवस्था एवं तैयारी प्रणालियों की कमियों को बखूबी सामने ला दिया है ।

2005 में कौबे, जापान में सम्पन्न आपदा न्यूनीकरण के विश्व सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों ने आपदा से होने वाली सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण परिसम्पत्तियों की हानि के न्यूनीकरण तथा जीवन रक्षा की प्रतिवद्धता को दुहराया है । सम्मेलन का प्रारूप परिणाम अभिलेख अगले दस सालों के लिए उठाये जाने वाले कदमों के लिए तीन सर्वांगीण लक्ष्य रखता है:–

(1) सुस्थायी विकास नीति, योजना एवं कार्यक्रमों में हर स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण अवधारणा को प्रभावी ढंग से समेकित करना एवं विशेष रूप से आपदा की रोकथाम न्यूनीकरण तैयारियों एवं संवेदनशीलता न्यूनीकरण पर विशेष बल दिया जाना ।

(2) सभी स्तरों एवं विशेषकर समुदाय स्तर पर संस्थाओं, कार्य प्रणालियों एवं क्षमताओं का विकास एवं

सुदृढ़ीकरण, जिससे कि आपदाओं का सामना करने की क्षमता में समग्र वृद्धि हो सके ।

(3) प्रभावित समुदायों के पुर्नवास कि लिए पूर्व तैयारी अनुक्रिया एवं बचाव कार्यक्रम की अवधारणा एवं रूपांकण में जोखिम न्यूनीकरण विचारधारा को अत:निहित कर क्रमबद्ध शामिल करना ।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई अवधारणा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि प्राकृतिक आपदाओं को विकास कार्यक्रमों से अलग नहीं देखा जा सकता । यू0एन0डी0पी0 द्वारा हाल में जारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन में विकास एवं आपदा जोखिम में परस्पर संबंध को गहरार्ह से विश्लेषित किया गया है । यह विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अनुपयुक्त विकास कार्रवाईयो आपदा से जोखिम को बढाती ही है । इसलिए आपदा प्रबंधन योजनाओं को एक दूहरा लक्ष्य होना चाहिये कि समाज प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की शक्ति प्राप्त करें और साथ साथ विकास के प्रयासों से इन आपदाओं की भेद्यता में वृद्धि न हो ।

उपरोक्त कथन, आपदा प्रबंधन को विकास से मात्र जोड़ता ही नहीं है मगर साथ साथ यह भी इंगित करता है कि इनका सही अनुपालन न करना एवं गैर वैज्ञानिक विकास हाल के दिनों में समुदाय की बढ़ती भेद्यता के मुख्य कारण रहे है । आपदाएँ, विकास प्रक्रिया से पूरी तरह जुड़ी हुई रहती हैं एवं यह समाज की विकास की प्रणाली ही है जो आपदाओं का प्रभाव एवं भेद्यता का निर्धारण करती है । चूँकि निर्विवाद रूप से सर्वांगीण आपदा प्रबंधन योजना में विकास प्रणाली का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है अत: आपदा प्रबंधन में विकास ऐजेन्सियों की भूमिका स्वत: ही उत्तरदायी हो जाती है ।

वर्त्तमान में आपदाओं के बदलते प्रभावों और उनके समाज पर प्रभावी असर को देखते हुए किसी एक मंत्रालय या विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से आपदाओं का सामना करना संभव नहीं है । अत: यह आवश्यक है कि आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों का सामना सभी विभाग/ एजेन्सियों एवं गैर सरकारी

संस्थाओं द्वारा मिल–जुल कर किया जाय ।इसके अतिरिक्त चूँकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के द्वारा भी प्रत्येक विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना का सूचीकरण अनिवार्य हो गया है, अत: इस परिपेक्ष्य में प्रत्येक विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाने हेतु संगत गतिविधियों की पहचान आवश्यक है ।

**–:बिहार में आपदाओं की स्थिति :–**

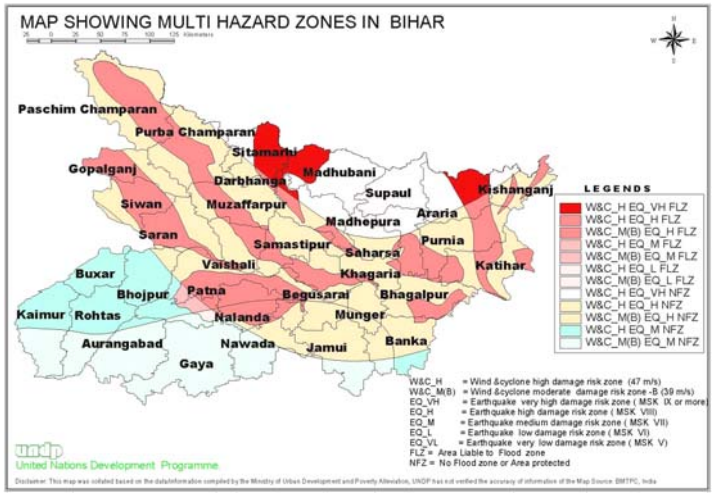


बिहार भारत के सर्वाधिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आता है । बाढ़, सूखा, भूकंप, लू, शीतलहरी, नदी कटाव, आगलग्गी आदि विभिन्न आपदाएँ राज्य में होती रहती है । विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में से बाढ़ सर्वाधिक एवं नियमित रूप से प्रति वर्ष बिहार में आती है, जिससे जान–माल की बड़ी मात्रा में क्षति होती है । राज्य में लगभग 68 लाख हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है । वर्ष 1987, 1988, 2002, 2003, 2004 में राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था । 2004 की बाढ़ ने पिछले सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए 570 कीमती जानें ली एवं करोड़ों रूपये की सम्पत्ति नष्ट की । बाढ़ के अलावा, भूकम्प सम्वेदनशीलता बिहार के लिए सतत् खतरा है । भारत की संवेदनशीलता एटलस में बिहार के 31 जिले जोन 4 एवं जोन 5 में दशार्ये गये हैं ।

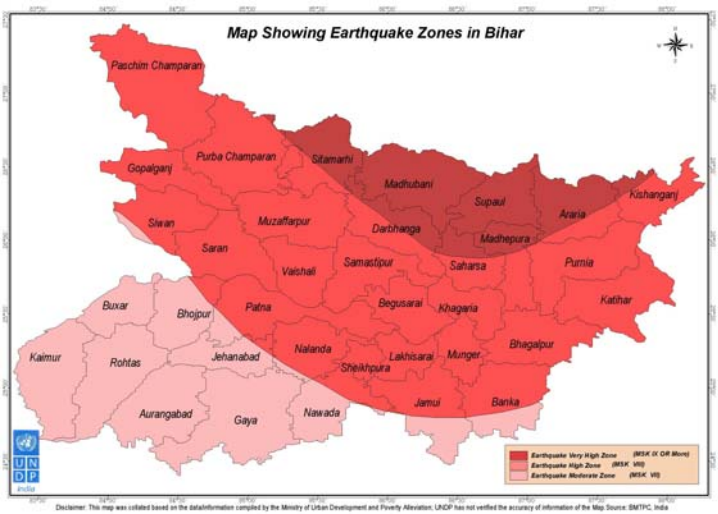

भूगर्भीय स्थिति के कारण उत्तर बिहार की स्थिति अत्यन्त सम्वेदनशील है जहां सात जिले भूकंप के जोन–5 में आते हैं । वर्ष 1934 में इस क्षेत्र में भारत एवं नेपाल का सर्वाधिक विनाशकारी भूकम्प, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 8.3 आंकी गई, आया था । इसका केन्द्र भारतीय सीमा के निकट नेपाल में था तथा इससे भारत में लगभग सात हजार और नेपाल में लगभग आठ हजार मौतें हुई थी । नेपाल के भटगॉव, पाटन एवं काठमांडू एवं बिहार के मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के हजारों गॉव इस प्राकृतिक विपदा से बरबाद हो गये । पुनः भारत नेपाल सीमा पर 6.8 तीव्रता का भयानक भुकंप 21 अगस्त, 1988 में आया, जिससे भी बड़ी मात्रा में जान–माल की क्षति हुई थी ।

बारबार आगलग्गी, शीतलहरी, लू, ओलावृष्टि, सुखाड़ आदि अन्य प्राकृतिक आपदाओं का बिहार को नियमित रूप से सामना करना पड़ता है । बढ़ती हुई आबादी का दवाब, भवनों की बढ़ती सघनता, निर्माण गुणवत्ता में त्रुटि तथा संवेदशीलता क्षेत्रों में न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी कार्यक्रम में लगभग शून्य निवेश होने के कारण इन प्राकृतिक आपदाओं से राज्य की भेद्यता बढ़ती जा रही है।

बिहार में राज्य की भेद्यता को देखते हुए आपदा प्रबंधन अवधारणा परिर्वत्तन, आपदा से संबंधित अनुक्रिया, खोज एवं बचाव प्रणाली की संस्थागत व्यवस्थाएॅ अर्पयाप्त रहीं है । संसाधन सीमित है एवं उपलब्ध सीमित बल में अनुभवी एवं पर्याप्त आधुनिक खोज एवं बचाव संयंत्रों का अभाव है । इनमें निम्न गुणवत्ता, पूर्व अभ्यासों एवं पेशेवर प्रशिक्षण का अभाव स्पष्ट है ।

## बिहार में आपदा प्रबंधनः एक आमूल अवधारण परिर्वतन

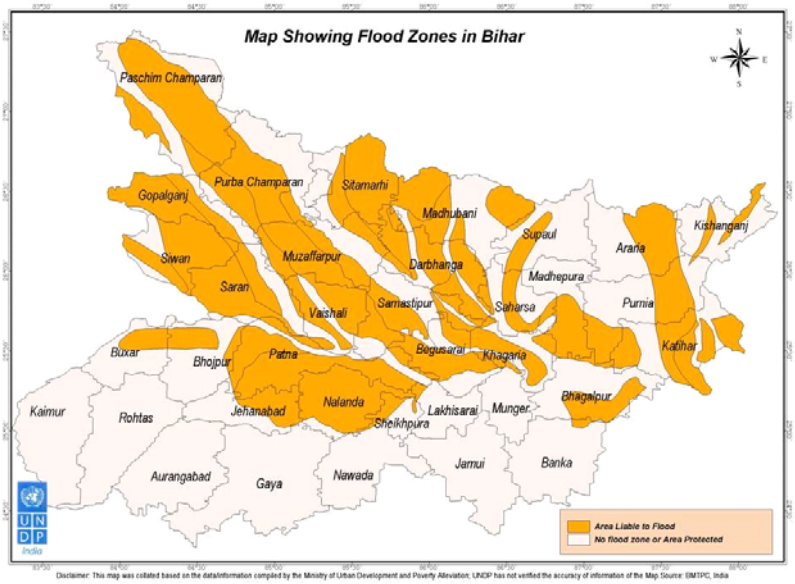


देश के अन्य राज्यों की तरह हाल तक बिहार राज्य में आपदा प्रबंधन, साहाय्य एवं पुर्नवास तक ही सीमित था । मगर बदली परिस्थितियों एवं विश्वव्यापी आपदा प्रबंधन अवधारणा परिवर्त्तन के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य में और अधिक प्रभावी एवं सुक्षम ढंग से इस विषय के निष्पादन हेतु सघन प्रयास किये गये है । राज्य की प्रस्तावित नई ''आपदा प्रबंधन नीति'' में साहाय्य एवं पुनर्वास के स्थान पर पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण पर बल दिया जा रहा है । ''साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग'' का नाम बदलकर आपदा प्रबंधन विभाग रखना, इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा लिया गया पहला कदम है । राज्य आपदा प्रबंधन नीति का प्रारूप तैयार कर विभिन्न विभागों से मंतव्य प्रतीक्षित है । भारत सरकार– यू0एन0डी0पी0 प्रायोजित ''आपदा (जोखिम) प्रबंधन कार्यक्रम'' का बिहार के 14 आपदा प्रवण जिलों में सफलता पूर्वक संचालन सरकार की एक वृहत उपलब्धि रही है । विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण, प्रशिक्षण के द्वारा क्षमता वृद्धि, जागरूकता पैदा करना, सभी संबंद्ध एजेन्सियों से सहयोग, समुदाय की सहभागिता आदि, आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के मुख्य अव्यव है, जिनके द्वारा सामुदायिक सहयोग से आपदा प्रबंधन को और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है ।

हांलाकि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उपयुक्त कदमों से एक नई चेतना का आरंभ हुआ है, लेकिन इसमे अभी काफी कुछ करने की गुजाईश है । देश का सर्वाधिक प्रमुख आपदा प्रवण राज्य होने के कारण बिहार में आपदा प्रबंधन से संबंधित विषय वस्तु का प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रयास की आवश्यकता है । जैसा कि पूर्व में वर्णित है, आपदा प्रबंधन को विकास से अलग–थलग नहीं रखा जा सकता है । परिणामोन्मुख व्यवस्था के लिये समेकित प्रयास करने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अनिवार्य है । जब सारा विश्व आपदा प्रबंधन क्षेत्र की अवधारणा को परिर्वतन कर रहा है, तब सभी विभागों को एक सम्पूर्ण आपदा प्रबंधन नीति एवं योजना के सूत्रीकरण के प्रत्येक स्तर पर शामिल करना अपरिहार्य हो जाता है । विभिन्न प्रक्षेत्रों को आपदा प्रबंधन में शामिल करने के संबंध मे एक विचारणीय तथ्य यह भी है कि आपदायें सभी प्रक्षेत्रों को कुप्रभावित करती है तथा जब आपदा आती है तब यह किसी विभाग या क्षेत्र को नहीं छोड़ती है । सरकार के सभी विभाग, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, समाज एवं व्यक्ति आपदा से प्रभावित होते है एवं वैसी स्थिति में उनके द्वारा सरकारी समन्वयक विभाग को आवश्यक सर्मथन प्रदान करना अपेक्षित है । इन सभी प्रक्षेत्रों की क्षमता एवं सामर्थ्य बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सामान्य समय में संभावित खतरों से होने वाली क्षति को कम करने के लिए एक साथ मिल कर काम करें मगर इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्बद्ध प्रक्षेत्र आपदा के खतरों को भली भांति समझें एवं इनसे निबटने के लिए उपायों को सम्मिलित करते हुए अपने प्रक्षेत्र के लिये एक सर्वांगिक योजना, आपदा प्रबन्धन की आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार करें ।

सरकारी विभाग/ एजेन्सियों के द्वारा ऐसी आपदा प्रबन्धन योजनायें राज्य सरकार की परिदृष्टि को देखते हुए बनानी होगी जो कि जन–साधारण(खासकर निर्धर्नो) की भेद्यता को कम करने, प्राकृतिक या मानव जनित खतरों को न्यूनतम स्वीकार्य मानवीय स्तर तक लाने तथा आपदा प्रबन्धन की रणनीति को परम्परागत अनुक्रिया एवं सहायय की अवधारणा में मूलभूत परिर्वत्तन करते हुए एक सर्वांगिण जोखिम न्यूनीकरण संस्कृति में बदलने कि उपयुक्त पूर्व तैयारी रणनीति पर आधारित होगी । इस रणनीति को स्वीकार करने से ही राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन के लिए एक सर्वांगीण एवं क्रमबद्ध योजना का सूत्रण सम्भव हो सकेगा । इस परिप्रेक्ष्य में सरकारी विभाग/ऐजेन्सी को अपनी रणनीति तैयार करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना होगा :–

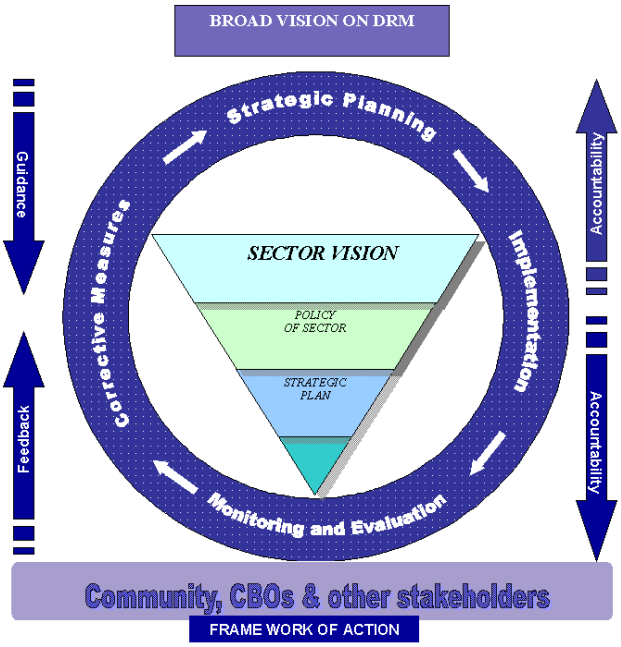


(1) आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम को विकास योजनाओं के अन्त:निहित मानना ।

(2) आपदा प्रबन्धन के लिए जो श्रोत /संसाधन उपलब्ध है उन्हें विकसित एवं सुदृढ़ीकरण करना ।

(3) सभी सम्बद्ध, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी संगठन एवं समुदाय शामिल है, उनकी परस्पर क्षमता एवं सीमाओं को समझ कर सहभागिता स्थापित करना ।

(4) आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभाग/ऐजेन्सियों के अन्दर उच्चकोटि के पेशेवर दृष्टिकोण का विकास करना।

(5) समुदाय, विशेषकर कमजोर वर्ग को विभाग के आपदा जोखिम प्रबन्धन कार्यक्रम का अन्तिम लाभार्थी मानना इत्यादि ।

**आपदा प्रबंधन में विभिन्न सरकारी विभागों की भूमिका एवं आपेक्षित गतिविधियों की पहचानः**

उपर्युक्त वर्णित आधारों पर विभाग विशेष को आपदा प्रबन्धन प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित कुछ प्रमुख परिणामों को प्राप्त करने हेतु रणनीति तैयार करनी होगी :–

(1) विभाग के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन हेतु समुन्नत सांस्थिक ढांचा खड़ा करना ।

(2) विभाग की नीतियों/योजनाओं में आपदा प्रबन्धन को शामिल करना ।

(3) सम्वेदनशील संरचनाओं की भेद्यता एवं सार्मथ्य की पहचान करना।

(4) मानव संसाधन विकास के द्वारा सामर्थ्य निर्माण ।

(5) विभाग में आपदा प्रबन्धन के लिए समुन्नत कार्य प्रणाली तैयार करना ।

(6) आपदा प्रबन्धन के लिए तकनीकी उपायों को मजबूत बनाना एवं उनमें विविधता लाना ।

(7) सभी ऐजेन्सियों द्वारा रचनात्मक सहभागिता ।

विभिन्न सरकारी विभाग ऐजेन्सियों के द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने में उपरोक्त वर्णित सिद्धान्तों/अवधारणओं को, अपनी विभागीय ऐजेन्सियों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है । प्रस्तुत प्रलेख इन्हीं अवधारणों के आधार पर तैयार किया गया है जिससे इन निर्धारित उद्देश्यों के साथ सम्बद्धित प्रत्येक विभाग/ऐजेन्सी, प्रत्येक स्तर पर आपदा प्रबन्धन में अपने उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर सके । विभागों के लिए क्षेत्रीय स्तर के लिए भी गतिविधियों की पहचान की गई है जो कि सर्वागीण कार्य योजना के अंग होंगे ।

राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम के बन जाने से यह अनिवार्य है कि आपदा प्रबन्धन योजना के लिए आवश्यक राशि कर्णाकिंत कर प्रत्येक विभाग आपदा प्रबन्धन योजना बनाये एवं उसे स्वीकृति हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकार के समक्ष रखें । इस प्रलेख में विभागो के लिए पहचान की गई

गतिविधियॉ, विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि आपदा की स्थिति का सामना सभी के द्वारा समन्वित ढंग से हो सके ।

प्रस्तुत प्रलेख में, विभागों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न प्रक्रमों अर्थात, सामान्य प्रक्रम, चेतावनी प्रक्रम, आपदा प्रक्रम एवं पुनर्वास प्रक्रम में उपयोगी गति विधियों की पहचान की गई है ।विभागों द्वारा गतिविधियों का संशोधन करना, परिशोधन करना एवं अन्य गतिविधियों को शामिल करने की स्वतंत्रता अक्षुण है । कुछ ऐसी गतिविधियॉं भी हैं जो सभी विभागों के लिए एक समान ही हैं एवं वे नीचे वर्णित है:-

(क) प्रत्येक विभाग में आपदा प्रबंधन कार्य के केन्द्र बिन्दु की रूप में एक नोडल पदाधिकारी/ कोषांग की स्थापना ।
(ख) प्रत्येक विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण ।
(ग) प्रत्येक विभाग द्वारा अपने बजट में आपदा प्रबंधन योजना के लिए राशि कणांकित किया जाना ।
(घ) आपदा के पूर्व के समय एवं बाद में विभाग के कार्मिको द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों के लिए परिचालन मार्ग निर्देश (ऑपरेटिंग मैन्युअल) की तैयारी ।
(ड.) आपदा प्रबंधन कार्य हेतु विभागों के कार्मिको का प्रशिक्षण ।
(च) विगत आपदाओं के समय प्राप्त अनुभवो को संकलित कर भविष्य के लिए कार्य योजना की तैयारी ।

## (1) कृषि विभाग

अपनी सामान्य गतिविधियों के अलावा कृषि विभाग द्वारा अपनी आपदा प्रबंधन योजना में निम्न गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है ।

**सामान्य समय**

(क) विभाग में आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय करने हेतु केन्द्र विन्दु निर्धारित करना ।
(ख) अपने विभाग की स्वयं की योजनाओं के अनुसार की जाने वाली कार्रवाईयों की नियमित समीक्षा ।
(ग) संभावित आपदा से संबंधित प्रतिवेदनों को प्राप्त करने एवं निदेशों को निर्गत करने हेतु प्रभावी कदमों की व्यवस्था करना ।
(घ) प्रभावित होने वाले आपदा प्रवण क्षेत्रों की पहचान ।
(च) संभावित प्रभावित लोगों के लिए बीज, खाद एवं अन्य कृषि औजारों के लिए ऋण या अनुदान प्राप्त करने की व्यवस्था की तैयारी ।
(छ) आवश्यकता होने पर भण्डारित किये गये बीज एवं उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर स्थान्तरित करने की तैयारी ।
(ज) आपदा प्रवण क्षेत्रों के पास बीज, खाद एवं कीट नाशकों को पर्याप्त भण्डारण रखने की तैयारी ।
(झ) आपदा प्रवण क्षेत्र के अनुमंडलीय मुख्यालयों में आकस्मिक स्थिति में उपयोग हेतु ट्रेक्टर, ट्रेलर इत्यादि उपलब्ध रखना ।
(ट) बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए की गई गतिविधियों के विषय में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में भाग लेने की व्यवस्था ।
(ठ) पौधों की विभिन्न बिमारियों तथा वैकल्पिक फसल व्यवस्था के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम ।

(ड) प्रखड स्तर पर दैनिक वर्षापात के आकंडे का संग्रहण एवं उनकें प्रतिवेदन की नियमित समीक्षा तथा किसानों एवं विभागीय पदाधिकारियों के लिए स्थिति के अनुसार आकस्मिक कार्य प्रणाली तैयार करने की योजना ।

(ढ) विभिन्न आपदाओं के समय फसल प्रणाली, एवं सावधानी के संबंध में किसानों को जानकारी देने हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री की तैयारी ।

(त) स्थानीय कृषि संबंधित मौसम की स्थिति तथा क्षेत्र की आपदा प्रवणता का ख्याल रखते हुए सिंचाई प्रणाली, जलछाजन प्रणाली, भूमि संरक्षण एवं अन्य जल, भूमि एवं उत्पादकता प्रबंधन के उपायों को उन्नत बनाने की तैयारी ।

(थ) फसलों में होने वाली बिमारियों, कीटों की समस्या पर निगरानी की व्यवस्था।

(द) सार्वजनिक सुविधाएँ, बीज आपूर्ति, कृषि सामग्रियों के भंडारण एवं कृषि बीमा को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि सेवा केन्द्रों/ एजेन्सियों की स्थापना ।

**चेतावनी प्रक्रम**

(क) सावधानी बरतने के उपाय एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा एवं अद्यतीकरण तथा विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना कि प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में बीज एवं अन्य कृषि इनपुट के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हो ।

(ख) बाढ़ मौसम के पूर्व बिचड़े उगाने क लिए स्थल का चयन ।

(ग) वर्षा मापक केन्द्रों की कार्य प्रणाली की समीक्षा एवं क्षतिग्रस्त/ अकार्यरत यंत्रों को तुरंत बदलने हेतु आवश्यक भंडार रखना ।

(घ) विद्यमान फसल के लिए वर्षापात की आवश्यकता का प्रति दिन आलेखन करना जिससे सुखाड़ की स्थिति का पूर्वाभ्यास हो सके ।

(ड.) कृषक समुदाय के साथ बार–बार बाढ़, सुखाड़, जल जमाव, कीट व्याधियों आदि प्राकृतिक आपदाओं से संबेदनशील फसलों एवं जोखिम की पहचान एवं जोखिम को न्यूनतम करने हेतु आवश्यक वैकल्पिक फसल प्रणाली की योजना बनाना ।

**आपदा प्रक्रम**

(क) आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा संचालन केन्द्रो से संपर्क रखने के लिए संपर्क पदाधिकारी नियुक्त करना ।
(ख) विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग करने का निदेश देना ।
(ग) फसल क्षति, कीट व्याधि का प्रकोप एवं फसल रोग होने पर क्षति को न्यूनतम करने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का प्रबंधन ।
(घ) बीज एवं अन्य कृषि इनपुट हेतु आवश्यक सामग्री का सुविधाजनक स्थलों पर पूर्व भंडारण करना, जिससे प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भंडार का पुनर्स्थापन हो सके।
(ड.) भूमि, फसल सिंचाई प्रणाली, ड्रेनेज, बॉध, जल भंडारण स्त्रोत आदि को हुई क्षति का तुरंत आकलन करना तथा इस क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन कर प्रतिवेदित करना । इससे बीज एवं अन्य कृषि आवश्यकताओं की शीघ्र आपूर्ति हो पायेगी एवं फसल क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में फसल क्षेत्रों में फसल गतिविधियाँ शुरू हो सकेगी ।
(च) आधुनिक संचार सुविधा यथा लोक सूचना केन्द्रो की स्थापना करना जो कि किसानों को बीमा क्षतिपूर्ति, कृषि उपकरणों की मारम्मति एवं शीघ्रातिशीघ्र कृषि गतिविधियों को प्रारम्भ करने मे आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करने में मदद करेंगे ।

**पुनर्वास प्रक्रम**

(क) विद्यमान नियमों के अर्न्तगत क्षति का शीघ्रातिशीघ्र आंकलन एवं कृषि पुनर्वास के लिए योजना बनाना ।

(ख) योजना की स्वीकृती एवं निधी आवंटन की व्यवस्था करना ।

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों को पुनर्स्थापित करने हेतु पर्याप्त मात्रा मे बीज, बीचड़े, खाद, कृषि उपकरण, सिंचाई व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(घ) कृषि–ऋण एवं अन्य कृषि–इनपुट का व्यवस्था ।

(ड.) आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास योजना हेतु सभी उपादान सामग्रियों को इकट्ठा कर प्रभावित जनता को पुनर्वासित करने हेतु कार्य योजना तैयार करना ।

(च) किसानों को दी गई सभी सहायता एवं ऋण की समीक्षा

(छ) अनुश्रवण कर वैकल्पिक फसल तकनीक, मिश्रित फसल तकनीक, अन्य कृषि प्रणाली पर प्रशिक्षण देना जिससे अगामी आपदाओं मे फसल क्षति न्यूनतम हो ।

(ज) किसानों को आपूर्ति हेतू बीज, खाद आदि क्रय कर वितरित करने के लिए समूचित व्यवस्था करना ।

(ज) क्षतिपूर्ति भुगतान तथा फसल–बीमा भुगतान की शीघ्र व्यवस्था करना ।

(झ) सुखाड़ एवं बाढ़ का सामना करने वाले बीजों का विकास एवं प्रचार–प्रसार।

## 1. (क) कृषि विभाग(क्षेत्र स्तर)

**सामान्य समय**

(क) सभी संबंधित कार्यालयों/ एजेन्सियों से सहयोग प्राप्त कर आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान ।

(ख) आवश्यक खाद–बीज, कीटनाशी एवं कृषि उपकरण आदि के भंडारण की समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार क्रय की व्यवस्था ।

(ग) अपने स्वयं की कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयारी के स्तर की समीक्षा ।

(घ) प्रभावित क्षेत्रों में बिछड़ों की मॉग पूरी करने के लिए स्थानीय स्तर पर ऊॅचे स्थल की पहचान एवं चयन करना ।

(ड.) प्रभावित क्षेत्रों में गंभीर फसल क्षति रोकने के लिए सतर्कता के साथ न्यूनीकरण सुरक्षा करना एवं समय पर आवश्यक कदम उठाना ।

**चेतावनी प्रक्रम**

(क) नियंत्रण कक्ष स्थापित करना एवं बाढ़ की पूर्व आशंका मिलने पर सभी संबधित को खाद–बीज, कीटनाशक,कृषि उपकरणों आदि को सुरक्षित स्थानों पर रखने हेतु निदेश निर्गत करना ।
(ख) स्थानीय पदाधिकारियों से विर्मश कर बिछड़े उगाने के लिये ऊॅची भूमि की पहचान करना, जिससे समय पर क्षतिग्रस्त बिछड़ों का पुनर्स्थापन हो सके ।
(ग) प्रभावित क्षेत्रों के सबसे सरल क्षेत्र मे बीज, बीछड़े, खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरणों को परिवहन कर भंडारित करना जिससे कि समय पर शीघ्र वितरण हो सके ।

**आपदा प्रक्रम**

(क) प्रत्येक स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष का संचालन
(ख) फसल क्षति तथा आवश्यक सामग्रियों के भंडार आदि को हुई क्षति का आकलन करना ।
(ग) क्षेत्रीय, जिला एवं प्रखंड स्तर पर फसल पुनर्वास की योजना तैयार कराना ।
(घ) प्रभावित क्षेत्रों मे सही समय पर बीज, बीछड़े, खाद, कीटनााशक एवं कृषि उपकरणों को पहुॅचाने हेतु वाहनों की व्यवस्था ।
(ड.) फसल ऋण की आवश्यकता का आकलन करना एवं कृषकों को उपलब्ध कराना।
(च) कृषि हेतु आवश्यक सामग्री तथा कृषि उपकरणों का प्रभावित क्षेत्रों में वितरण।

**पुनर्वास प्रक्रम**

(क) कृषकों को हर संभव तरीके से पुनर्वास हेतू मदद करना ।
(ख) क्षति का आंकलन पर प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास हेतु वित्तीय एवं आपूर्ति सामग्री का आकलन निर्धारित करना ।
(ग) क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा सामूहिक रूप में प्रयास कर तत्काल कृषि पुनर्वास हेतु बीज, बीचड़े, खाद, कृषि उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
(घ) संचार माध्यमों तथा रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों आदि द्वारा कृषि पुनर्वास के उपायों से जन साधारण को सूचित करना ।
(ड.) वितरीत की जा रही सहायता एवं ऋण की उचित उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतू स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था ।
(च) यथोचित अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन प्रणाली विकसित करना ।
(छ) प्रभावित क्षेत्रों में क्षति का आकलन कर वित्तीय एवं भौतिक पुनर्वास हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्ताव देना ।
(ज) पुनर्वास हेतु तैयार फसल योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषकों का प्राथामिकता एवं जागरूकता अभियान ।

## 2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

अपनी सामान्य योजनाओं के अतिरिक्त पशुपालन एवं मत्स्य विभाग निम्नलिखित गतिविधियों के लिये योजना बना सकता है ।

**सामान्य समय**

(क) आपदा प्रबंधन हेतु विभाग में केन्द्र बिन्दु नामित करना ।
(ख) विभाग की आकास्मिक कार्य–योजना के अन्तर्गत तैयारियों की समीक्षा
(ग) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान ।
(घ) आपदा प्रबंधन हेतू अलग निधि का प्रावधान करना, जिससे आपदा के बाद पुनर्वास आवश्यकताओं को शीघ्र वहन किया जा सके ।
(ड.) विभाग के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना जिससे वे आपदा का सामना करने को तैयार रहें एवं संभावित क्षति पुनर्वास कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील हो ।
(च) आपदा प्रवण क्षेत्रों मे विभाग के पदाधिकारियों को सतर्क रखना
(छ) बाढ़ स्थिति में पशुओं को शरण देने हेतु स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर उच्च स्थलों का चयन की कार्रवाई पूर्व में ही करना ।
(ज) दवाओं आदि का पूर्व में आकस्मिक भंडारण करना जिससे पशु–पक्षियों में संक्रमण रोगों के फैलाव से नियंत्रण एवं बचाव संभव हो ।
(झ) आपदा प्रवण क्षेत्रों को पहचान करने हेतु सर्वेक्षण एवं संसाधनों कें भंडार को समय–समय पर अद्यतन करना ।
(ञ) पशुधन को आपातस्थिति में सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करने हेतु सामान्य प्रशासन को सहायता करना तथा उसके बाद आवासन /चिकित्सा व्यवस्था की पूर्ण तैयारी ।
(ट) प्रभावित क्षेत्रों में आपातस्थिति में पशुचारा वितरण कराने की योजना तैयार करना ।

(ठ) विभिन्न पशु रोगो एवं उनके रोकथाम के उपायों के सम्बन्ध में जन जागरूकता पैदा करना ।
(ड) आपदा में प्रभावित पशुओं को स्थानान्तरित करने हेतु वाहनो की पहचान कर सूची तैयार करना ।
(ढ) पशु–बीमा की व्यवस्था कराना ।
(ण) प्रत्येक पशु चिकित्सालय में पर्याप्त संख्या में पशु चिकित्सा की व्यवस्था हेतु तैयारी रखना ।

**चेतावनी प्रक्रम**

(क) विभाग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को विभागीय भवनों, भंडारों की सुरक्षा के लिये उच्च स्तर की तैयारी हेतू सर्तक रहने का निदेश ।
(ख) आपदा प्रबंधन विभाग में आपात् संचालन केन्द्र से समन्वय करने हेतु एक संपर्क पदाधिकारी को नामित करना ।
(ग) विभाग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन समितियों एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी को निरंतर सहायता एवं सहयोग प्रदान करने का निदेश ।
(घ) पशुचारा, पशु दवा आदि का प्रर्याप्त भंड़ारण सुनिश्चित करना ।
(ड.) पशुओं को सुरक्षित शरण स्थल हेतु ऊॅचे शरण स्थल का निर्माण ।
(च) दीर्घकालीन सुखा स्थिति में पशुओं के लिए जल क्षेत्रों का पहचान ।

**आपदा प्रक्रम**

(क) बाढ़ के समय घिर गये पशुधन एवं पशु चारा को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की व्यवस्था ।

(ख) शरण स्थल में बाढ़ के समय पशु–पक्षियों के टीकाकरण एवं त्वरित इलाज की व्यवस्था ।
(ग) छोड़ दिये गये या गुमशुदा पशुओं की तलाश एवं शरण स्थलों की व्यवस्था करना ।
(घ) प्रभावित क्षेत्रों में पशुचारा, दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
(ड.) प्रभावित क्षेत्रों में कारगर एवं भ्रमणशील दलों की पर्याप्त व्यवस्था करना।
(च) महामारियों की रोकथाम हेतु उचित स्वच्छता अधिष्ठापन कराया जाना एवं पशु शवो के निष्पादन हेतू समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना ।

**पुर्नवास प्रक्रम**

(क) सभी क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों एवं पशुधन का त्वरित सर्वेक्षण कराना ।
(ख) क्षति का त्वरित मूल्यांकण करा कर लघु एवं दीर्घकालीन पुर्नवास योजना बनाना ।
(ग) पशुधन के पुर्नवास एवं क्षति की पूर्त्ति हेतु निधि का आबंटन कर योजनाओं को कार्यान्वित करना ।
(घ) प्रभावित पशुधारकों को पशुक्रय हेतु वित्तीय संस्थानों से आसान शर्त्तों पर ऋण सम्पोषण कराना । साथ ही आगामी आपदा का सामना की तैयारी हेतु पशुधन की गणना कराना एवं उनके लिए आपदा सुरक्षित शरणों/ उच्च स्थलों का निमार्ण कराना ।
(ड.) प्रभावित क्षेत्रों में पुर्नवास हेतु पशुचारा के त्वरित क्रय हेतु कदम उठाना ।
(च) आपदा के समय स्थापित शरण स्थलों से पशुओं को वापस भेजने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करना ।
(छ) सामान्य स्थिति बहाल होने तक प्रभावित पशुधारकों को पशुधन / पक्षियों हेतु चारा/खाद्य आपूर्त्ति की व्यवस्था में सहायता करना ।

## 3. भवन निमार्ण विभाग

अपनी सामान्य योजनाओं के अतिरिक्त भवन निर्माण विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु निम्नलिखित गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है ।

**सामान्य समय**

(क) आपदा प्रबंधन योजनओं के सुत्रीकरण हेतु विभाग में एक केन्द्र विन्दु स्थापित करना ।
(ख) प्रखंड स्तर तक की आपदा प्रबंधन समितियों में विभाग के पदाधिकारियों द्वारा भाग लेकर खोज–बचाव एवं पुनर्वास योजनाओं की तैयारी में योगदान ।
(ग) आपदाओं के समय सरकारी भवनों को क्षति से बचाव हेतु पूर्व से आवश्यक कदम उठाना ।
(घ) स्थानीय प्रशासन एवं विभिन्न विभागों की आपदा प्रबन्धन गतिविधियों के लिये समन्वय स्थापित करना ।
(ड) प्रत्येक स्तर पर सभी सरकारी भवनों की भूकंपरोधी स्थित का सर्वेक्षण करना एवं उनकी रेट्रोफिटिंग की योजना बना कर चरणवद्ध कार्यान्वित करना ।

**चेतावनी प्रक्रम**

(क) सभी विभागीय /एजेन्सियों को सर्तकता अनुदेश जारी करना ।
(ख) विभाग में नियंत्रण कक्ष स्थापित करना ।
(ग) आपदा प्रबंधन विभाग के आपात् संचालन केन्द्र से समन्वय एवं संपर्क हेतु पदाधिकारी नामित करना एवं विभिन्न स्तर पर सरकारी भवनों की रक्षा एवं मरम्मति हेतु सामग्री एवं कार्मिक व्यवस्था तैयार कराना ।

**आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम**

(क) आपदा से हो रही/ हुई क्षति के आकलन के लिये त्वरित सर्वेक्षण करना ।

(ख) आपदा ग्रस्त/ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों मे भवन मरम्मती की आपात् व्यवस्था कराना ।

(ग) आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती/ पुर्नस्थापना संरचना में भूंकम्परोधी तकनीक का प्रयोग करते हुये कार्य की योजना तैयार कर कार्यान्वित कराना ।

(घ) अन्य विभागों के आपदा क्षतिग्रस्त भवनों में भूंकपरोधी पुननिर्माण मे यथा संभव समन्वय एवं सहयोग करना ।

(ड.) भविष्य मे भूंकप की पुनरावृति की संभावना को देखते हुए सभी प्रभावित होने वाले सरकारी भवनों की रेट्रोफिटिंग योजना तैयार कर कार्यान्वित कराना।

## 4. शिक्षा विभाग

आपनी स्वंय की योजना के अलावा, शिक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में लिया जा सकता है ।

**सामान्य समय**

(क) विभाग में आपदा प्रबंधन हेतु केन्द्र बिन्दु स्थापित करना ।
(ख) सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रमो में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल करना ।
(ग) शिक्षकों एवं छात्रों (विशेष कर आपदा प्रवण क्षेत्रों के) के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित करना तथा आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उन्हें आपदा के समय स्वयं सेवक के रूप में उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित करना ।
(घ) आपदा प्रवण क्षेत्रों के सभी विद्यालय–भवनों को आपदा सुरक्षित तकनीक से निर्मित कराना ।
(ड.) भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों के शिक्षा संस्थानों की मरम्मत, अनुरक्षा एवं भूकंपरोधी भवन निमार्ण विधियों के आधार पर रेट्रोफिटींग कराना ।
(च) आपदा प्रवण क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन की तैयारी एवं पूर्व अभ्यास कराना ।

**आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम**

(क) आवश्यक संख्या में शैक्षणिक संस्थानो के भवनों को राहत एवं पुनर्वास केन्द्र के रूप में उपयोग हेतु स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराना । इसके लिये भवनों की रेट्रोफिटिग कर संसाधन सहित सूची उपलब्ध रखनी होगी ।
(ख) शैक्षणिक संस्थानों द्वारा खोज–बचाव एवं पुनर्वास कार्यों में शिक्षकों/ छात्रों एवं स्वयंसेवकों को स्थानीय प्रशासन का सहयोग देने हेतु पूर्व प्रशिक्षण कर प्रेषित करना ।

(ग) शैक्षणिक संस्थानों में क्षति का आकलन कर उनमें मरम्मति/पुनर्निमार्ण हेतु कार्य योजना बनाना एवं राशि उपलब्ध कराना ।

## 5. उर्जा विभाग

अपनी स्वंय की कार्ययोजना के अतिरिक्त, उर्जा विभाग में निम्नलिखित गतिविधियेां के लिए योजना निर्माण करना अपेक्षित होगा ।

(क) उर्जा उत्पादन संयत्र, उर्जा आपूर्ति एवं वितरण संयत्रों को सुरक्षित रखने हेतु उपायों की तैयारी करना ।

(ख) उर्जा उत्पादन करने के संयत्रों की शीघ्रतम मरम्मति कर विद्युत आपूर्ति को शीघ्रता से चालू करने की योजना, जिससे महत्त्वपूर्ण संस्थान यथा अस्पताल, स्कूल, टेलीविजन केन्द्र, जलआपूर्ति, दूरसंचार, प्रशासनिक संस्थान इत्यादि कार्यरत रह सके ।

(ग) आपदा प्रबंधन कार्यक्रम हेतु विभाग में केन्द्र बिन्दु स्थापित करना ।

(घ) प्रारंभिक तैयारी, सतर्कता, आपदा से पूर्व एवं उसके बाद की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में कार्मिको का अनुदेश निर्गत करना एवं विस्तृत परिचालन निदेश (मैनुअल) परिचारित करना ।

(ड.) आपदा प्रवण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन विषयों पर कार्यरत कर्मियों को सेवारत प्रशिक्षण देना ।

(च) उच्च बोल्टेज वाले ट्रांसमिशन टावरों को बाढ़, भूकंप, तीव्र तूफान से सुरक्षा हेतु सुदृढ़ कराना ।

(छ) विद्युत संस्थानों, संचार प्रणालियों का आधुनिकरण एवं सुदृढ़िकरण, जिससे आपदाओं में न्यूनतम क्षति हो ।

(ज) विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सामान्य समय एवं आपदा के समय जनता से सहयोग के लिये जागरूकता अभियान चलाना ।

**चेतावनी प्रक्रम**

(क) संभावित उत्पादन इकाई को बाढ़ में डूबने से बचाने हेतु समुचित कार्रवाई करना ।
(ख) आपदा संभावित पूर्वाभास/ चेतावनी मिलने पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना जो स्थानीय प्रशासन एवं विधिव्यवस्था मशीनरी से निरंतर संर्पक मे रहेगा ।
(ग) एक संर्पक पदाधिकारी को नियुक्त करना जो मुख्यालय एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन कमेटी एवं विभिन्न उत्पादन/ वितरण इकाईयों से संर्पक में रहेगा ।
(घ) आवश्यकतानुसार कार्मिकों को निकटतम सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण करने की व्यवस्था ।
(ड.) उच्च शक्ति के विद्युत प्रवाह से संभावित दुर्घटना से बचाने हेतु विद्युत प्रवाह बन्द करने की निकतम उत्पादन इकाई/ ग्रीड स्टेशन में व्यवस्था ।
(च) केन्द्रीय आपदा प्रबंधन समिति एवं हर क्षेत्रीय इकाई में आपदा प्रबंधन समिति का गठन ।

**आपदा प्रक्रम**

(क) चौबीस घंटे निरन्तर नियत्रंण कक्ष का संचालन ।
(ख) विद्युत दुर्घटना स्थलों पर तुरन्त मरम्मत एवं क्षति आकलन हेतु टीम भेजना।
(ग) विद्युत संचार प्रणाली में हुई क्षति के फलस्वरूप लोक सेवा एवं अन्य ऐजेन्सीयां सुरक्षित रहे इसकी व्यवस्था करना ।
(घ) क्षतिग्रस्त विघुत संचार लाईनों/ व्यवस्था को शीध्रातिशिध्र पुनःस्थापित करने हेतु आवश्यक सामग्रियां, मरम्मती संयत्रों, ट्रांसफारमर आदि की त्वरित आपूर्ति प्रारंभ करना ।

**पुनर्वास प्रक्रम**

(क) विद्युत आपूर्ति पुनःप्रारंभ करने एवं सामान्य स्थिति कायम करने हेतु आवश्यक कदम जारी रखना ।

(ख) आपदा से हुई क्षति का त्वरित आंकलन कर पुन:स्थापन करने हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कारना ।

(ग) पुन:स्थापन/पुनर्वास हेतु योजनाओं को अंतिम रूप दे कर उनका शीघ्र कार्यान्वयन ।

(घ) पूर्व में आपदाओं के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर भविष्य की रणनीति तैयार करना ।

## 6. वन एवं पर्यावरण विभाग

आपदाओं के द्वारा पर्यावरण तो प्रभावित होता ही है, साथ ही इसकी क्षति से आपदाओं के आने की संभावना भी प्रबल हो जाती है । बाढ़, सुखाड़ आदि आपदाओं के नियंत्रण में वन की महत्वपूर्ण भूमिका है । सामान्य समय एवं विशेषकर पुनर्वास प्रक्रम में वन एवं पर्यावरण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण विभाग द्वारा अपनी सामान्य योजना के साथ, निम्नलिखित गतिविधियों पर कार्य करना आपेक्षित है ।

**समान्य समय**

(क) विभाग में आपदा प्रबंधन केन्द्र बिन्दु के रूप में एक संपर्क पदाधिकारी का नामांकन ।
(ख) पर्यावरण क्षति पर लगातार नजर रखना जिससे और अधिक गंभीर क्षति ना हो ।
(ग) वानिकी कार्यक्रम के विस्तार की योजना बनाना तथा निधि को उपलब्ध कराना तथा वन आच्छादित क्षेत्र में हो रही क्षति को देखते हुये सघन वृक्षारोपण कराना ।
(घ) रसायनिक उद्योग, प्रदूषित गैसों या प्रदूषण तत्व उत्सर्जित करने वाले उद्योग से संभावित पर्यावरण आपदा को नियत्रंण करने हेतु यथोचित विधि विधान तैयार करना ।
(ड.) बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सड़कों एवं तटबंधों पर सघन वानिकी कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वित कराना ।
(च) सरकारी, गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठनों को वन संरक्षण, पर्यावरण आदि गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर आपदा प्रवण क्षेत्रों में समुदायिक वानिकी कार्यक्रम का त्वरित कार्यान्वयन ।
(छ) विभाग के कार्मिकों को आपदा प्रबंधन संकेतो को आम जनता तक पहुँचाने हेतु पूर्व प्रशिक्षण तथा कार्मिकों को खोज एवं बचाव तकनीकी में समय-समय पर प्रशिक्षण देना ।

(ज) आपदा प्रवण क्षेत्र में पर्यावरण परिस्थिति को प्रभावित करने वाली बाधाओ की पहचान कर उनमें सुधार के उपाय करना ।
(झ) आपदा के बाद संभावित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण केलिए स्थानीय प्रशासन को उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी देना ।
(ञ) आच्छादन पट्टी के वनरोपण को प्रोत्साहन देने हेतु समुदाय को पौधे उपलब्ध कराना । साथ ही नर्सरी विकास को प्रोत्साहित करना, जिससे आपदा के कारण वृक्षों को हुई क्षति की पूर्त्ति हो सके ।
(ढ) वनों में होने वाले अग्निकांडों की रोकथाम एवं क्षति न्यूनीकरण के लिये योजना तैयार कर कार्यान्वित करना ।

**चेतावनी एवं सतर्कता प्रक्रम**

(क) सभी विभागीय कार्मिकों को विभागीय संपत्ति के अलावा सामान्य जनता के जीवन एवं संपत्ति रक्षा हेतु सामान्य अनुदेश निर्गत करना ।
(ख) विभाग में आपदा प्रबंधन हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित करना तथा आपदा प्रबंधन विभाग के आपात् संचालन केन्द्र से निरंतर संपर्क बनाये रखना ।

**आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम**

(क) सड़कों पर गिरे वृक्षेां को हटाने की त्वरित कार्रवाई ।
(ख) सभी विभागीय कार्मिको को आपदाग्रस्त स्थानीय जनता की मदद हेतु प्रतिनियुक्त करना ।
(ग) आपदा क्षेत्र में पर्यावरण क्षति स्थिति पर सतत् नजर रखना एवं कारणेां की पहचान कर आवश्यक सुधार के उपाय प्रारंभ करना ।
(घ) शरण स्थलों, अस्थायी पुलों आदि के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री जैसे बॉस, बल्ले आदि उपलब्ध कराना ।

(ड.) वन परिसंपत्तियों में हुई क्षति का आंकलन कर उनके पुन:स्थापन की योजना तैयार करना ।
(च) आपदा स्थिति में हुये अनुभवों के अधार पर चालू योजनाओं में सुधार तथा भविष्य की योजनाओं को सुद्वढ़ करना ।

## 7. वित्त विभाग

सामान्य कार्यकलापो के अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन से जुड़े निम्नलिखित कार्याकलापों को करना अपेक्षित है ।

(क) विभाग में आपदा प्रबंधन हेतु एक केन्द्र विन्दु स्थापित करना ।
(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत निम्नलिखित कोषों की स्थापना एवं उसके संचालन की विस्तृत कार्यावन्यन प्रणाली निर्धारित करना ।

- राज्य आपदा अनुक्रिया कोष
- जिला आपदा अनुक्रिया कोष
- राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष
- जिला आपदा न्यूनीकरण कोष

(ग) सुनिश्चित करना कि उपरोक्त कोषों में पर्याप्त राशि संबध प्राधिकार के पास न्यूनीकरण/ अनुक्रिया कार्यकलाप हेतु उपलब्ध रहे ।
(घ) सभी विभागों को निदेश करना एवं सुनिश्चित करना कि वे अपने वार्षिक बजट में आपदा प्रबंधन योजना के कार्यकलापो हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान कर्णांकित करे ।

### आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम

(क) आपातकालीन समय में क्रय हेतु संबंधित विभागों को प्राधिकृत करना । (निविदा आयोजन की सामान्य प्रक्रिया को ऐसे आपतकालीन स्थिति में शिथिल करनें की आवश्यकता होगी ।

(ख) सहाय्य राहत कार्यो हेतु निधि आवंटन की त्वरित व्यवस्था करना ।

(ग) आवश्यक क्षतिग्रस्त संरचना, लोक सुविधाओं एवं भवनों आदि के पुर्नस्थापन हेतु आकस्मिक निधि की व्यवस्था करना ।

## ४. खाद्य आपूर्ति एवं वाण्ज्यि विभाग

आपदा प्रवण/ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की भूमिका आपदा प्रबंधन के लिए खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के भंडारण एवं आपूर्ति में अति महत्वपूर्ण है । विभाग से निम्न बिन्दुओं पर योजनावद्ध कार्रवाई अपेक्षित है।

### सामान्य स्थिति

(क) आपदा प्रवण क्षेत्रों में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री के पयार्प्त स्टॉक की उपलब्धता एवं स्थिति की निरंतर समीक्षा ।
(ख) आपदा प्रवण क्षेत्रों में हर प्रखंड़ में कम से कम एक गोदाम तैयार रखना, जिसमें पर्याप्त भंडारण क्षमता हो ।
(ग) हरएक पंचायत में खाद्यान्न के लिये एक जनवितरण प्रणाली की दूकान में समूचित खाद्यान्न का सुरक्षित स्टॉक रखना, जो भूखमरी की स्थिति में भी उपयोग किया जा सके ।
(घ) गोदामो में भंडारित अनाज की समुचित सुरक्षा व्यवस्था करना ।
(ड.) खाद्यान्न एवं अन्य सामानों के परिचालन हेतु परिवहन एवं वाहन आदि की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
(च) खाद्यान्नों के आपत्स्थिति में परिचालन एवं वितरण की कार्ययोजना तैयार करना ।
(छ) बाढ़ से उत्पन्न स्थिति में गोदाम में भंडारित अनाजो को सुरक्षित रखने एवं आवश्यकतानुसार अनाज स्थानातंरण की कार्य योजना तैयार करना ।

### सर्तकता एवं चेतावनी प्रक्रम

(क) विभाग में नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आपात् संचालन केन्द्र से संपर्क करने हेतु सम्पर्क पदाधिकारी नामित करना

(ख) आपदा सम्भावित क्षेत्रों के सभी कार्मिकों को सर्तक कर आपात्कालीन योजना का अद्यतनीकरण करना ।
(ग) आपदा सम्भावित क्षेत्रों में बाजार मूल्य पर सतत् निगरानी एवं मूल्य स्थायीत्व के लिए कदम उठाना ।

**आपदा प्रक्रम**

(क) आवश्यकतानुसार पर्याप्त खाद्यान्न आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष राशनिंग व्यवस्था तथा खुले बाजार से बिक्री व्यवस्था लागू करना ।
(ख) आपात् स्थिति में मुनाफाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी के विरूद्ध कदम उठाना एवं बाजार में सामान्य मूल्य सुनिश्चित करना ।
(ग) आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न आपूर्त्ति त्वरित सुनिश्चित करना ।
(घ) खाद्यान्नों तथा गोदामों की हुई क्षति का आकलन कर पुनर्निमार्ण की कार्रवाई प्रारम्भ करना ।

**पुनर्वास प्रक्रम**

(क) सर्वेक्षण कर गोदामों की क्षति का शीघ्र आकलन सुयोग्य विशेषज्ञों से कराना।
(ख) गोदामों की मरम्मति/पुनर्निमार्ण के लिए समुचित योजना तैयार कर राशि का आवंटन एवं आवश्यक कार्रवाई करना ।
(ग) संचार माध्यमों से दैनिक आवश्यकता के खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता घोषित करना तथा उनका नियमित आपूर्त्ति सुनिश्चित करना ।
(घ) राहत प्रयोजन के लिये आई सहायता सामग्री की प्राप्ति,भंडारण एवं वितरण के लिए प्रेषण सुनिश्चित करना ।
(ड.) जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्त्ति /वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।

(च) मुनाफाखोरों, जमाखोरों इत्यादि के विरूद्ध पर्याप्त एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई कर बाजार मूल्य में स्थायित्व रखने का प्रयास करना।

## ९. स्वास्थ्य विभाग

**सामान्य प्रक्रमः**

(क) राज्य, जिला एवं प्रखड़ स्तरो पर बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन तैयारियों का नियमित आकलन एवं अकस्मात स्थिति से निबटने हेतु चिकित्सा दलों, दवाओं, टीकाओं एवं अन्य चिकित्सा सामग्रियों की उपलब्धता की नियमित समीक्षा

(ख) महामारियों एवं अन्य आपदाओं से संभावित प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का पहचान करना ।

(ग) आवश्यकता होने पर आपदा प्रवण क्षेत्रों में भेजने हेतु दवाओं, संयत्रो एवं अन्य सुविधाओं से लैस अल्प सूचना पर भेजे जा सकने वाले चिकित्सा दलों की तैयारी करना ।

(घ) आपदा प्रवण क्षेत्रों में पर्याप्त दवाओं, शल्यक्रिया उपकरणों, टीको एवं जन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का पर्याप्त भंडारण एवं उपलब्धता की व्यवस्था ।

(ड.) टेलीवीजन, रेडियो, समाचार एवं अन्य प्रचार माध्यमों से जन समाचार पत्रों से जनसाधारण को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रचार प्रसार ।

(च) संभावित आपदा से निबटने हेतु अतिरिक्त कार्मिकों, दवाओं एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं का आकलन एवं बजट में राशि का प्रावधन ।

(छ) निजी क्षेत्र के चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सूचीकरण, संपर्क व्यवस्था एवं आपात् स्थिति में उपयोग की कार्य योजना ।

(ज) प्रशिक्षित कार्मिको, जांच सुविधा, संचार उपकरणों एवं आपात चिकित्सा सुविधा से सज्जित पर्याप्त संख्या में चलन्त चित्किसा टीमो का गठन ।

(झ) मोबाइल हास्पीटलो का क्रय करना एवं उन्हें कार्यरत रखना ।

(ञ) संभावित आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिक शल्यक्रिया शिविर लगाने हेतु स्थलों /भवनों की पूर्व पहचान ।

(ट) आपदा के दौरान या उसके बाद महामारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण मे उपयोग हेतु क्षेत्रीय कार्मिकों, पंरपरागत दाइयो, समुदाय कार्यकत्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनो को प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित करना ।
(ठ) आकस्मिक स्थिति में घायलों को स्थानान्तरित करने के लिये आवश्यक विभागीय वाहनों की सूची बनाकर मरम्मत कर तैयार रखना ।
(ड) सभी स्वास्थ्य चिकित्सालयों/अस्पतालो के भवनों की भूकंपरोधी संवेदनशीलता का अध्ययन कर आवश्यक भूंकंपरोधी रेट्रोफिटिगं कराना ।

**सर्तकता एवं चेतावनी प्रक्रम**

(क) बाढ़ चेतावनी या अन्य आपदा चेतावनी मिलते ही आपदा प्रवण क्षेत्रों के कार्मिकों को आकस्मिक आपदा कार्य योजना के अनुसार कदम उठाने का निदेश देना ।
(ख) नियंत्रण कक्ष प्रारंभ करना तथा आपदा प्रबंधन विभाग के आपात् संचालन केन्द्र से समन्वय करना
(ग) आवश्यक दवायें, सर्पदंश दवायें, हैलोजेन टेबलेट, ब्लीचिंग पाउडर, ओ. आर. एस. पाउडर के भंडार को सम्भावित आपदा प्रभावित क्षेत्र को भेजने की आकस्मिक योजना तैयार करना एवं उनके सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करना ।
(घ) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थानों, ब्लड बैंकों की पहचान एवं उन्हे उपयोग के लिए तैयार रखना ।
(ड.) प्रभावितों को समय पर सहायता पहूचाने हेतु चलन्त हॉस्पिटल तैयार रखना।
(च) मेडिकल टीम का गठन कर अति अल्प सूचना पर प्रस्थान के लिए तैयार रखना ।
(छ) आपात्कालीन स्थिति में आवश्यकतानुसार विभागीय वाहनों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वाहन, जल वाहन, नौका तैयार रखना ।

**आपदा प्रक्रम**

(क) चौबीस घन्टे नियंत्रण कक्ष संचालित करना ।
(ख) प्रभावित जनसंख्या हेतु तुरत प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा आपदा स्थल पर पर्याप्त कार्मिकों को प्रतिनियुक्त करना एवं मेडिकल दलों को भेजना।
(ग) घायल व्यक्तियों एवं बीमारों को अस्पताल/शरण स्थलों पर पहुंचाना ।
(घ) जल शुद्धि टेबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर आदि की आपूर्त्ति तथा बाढ़ /आपदा राहत शिविरों में स्वास्थ्य सेवाओं एवं शुद्ध जल की व्यवस्था करना ।
(ड.) सभी पेयजल श्रोतों की जांच तथा प्रदूषण से बचाव हेतु आवश्यक कदम उठाना ।
(च) सभी सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सा सुविधाओं को समन्वय करते हुए चिकित्सा हेतु अतिरिक्त क्षमता का निर्माण ।
(छ) महामारियों के उत्पन्न होने या फैलने के वरूद्ध सतर्कता बनाये रखना तथा हैजा, टॉयफाइड इत्यादि को फैलने से रोकने कि लिए ंविशेष अभियान चलाना ।
(ज) आपदा के कारण हुई मौतों एवं बीमारियों के फैलाव के संबंध के नियमित प्रतिवेदन भेजना ।

**पुनर्वास प्रक्रम**

(क) महामारी नियंत्रण के अभियान को जारी रखना एवं प्रभावित इलाकों में महामारी समाप्ति तक टीकाकरण अभियान जारी रखना ।
(ख) बीमारियों के फैलाव पर निगरानी एवं रोगियों की चिकित्सा व्यवस्था का सतत अनुश्रवण ।
(ग) रोगियों के इलाज के साथ उनकी ट्रॉमा काउंसलिंग तथा घायल एवं अपंग हुये व्यक्तियों का चिकित्सीय एवं सामाजिक पुनर्वास ।

(घ) टीकाकरण के साथ–साथ प्रभावित क्षेत्रों में पौष्टिक भोजन व्यवस्था का सर्वेक्षण । प्रभावित जनता को पौष्टिक आहार उपलब्धता पर सतत् निगरानी रखना एवं यथा आवश्यक कदम उठाना ।

(ड.) स्वास्थ्य देखभाल, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य जानकारी इत्यादि हेतु जन जागरूकता अभियान जारी रखना ।

(च) आपदाग्रस्त जनता में रोगों के प्रति सम्वेदनशीलता को शनैः शनैः कम करने हेतु दीर्घकालीन योजनाएं बनाना ।

## 10. गृह विभाग

गृह विभाग के नियंत्रण में कार्यरत बलों से यह अपेक्षित है कि वे स्थानीय प्रशासन को आपदा प्रबन्धन कार्यों में अपने दायित्वों का प्रभावी निष्पादन करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे । गृह विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ बलों की आपदा प्रबंधन में भूमिका की निरन्तर समीक्षा करने की आवश्यकता है ।विभाग से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निम्न कार्य आपेक्षित है ।

(क) आपदा प्रबन्धन अभियान हेतु कार्य योजना बनाना ।
(ख) आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित आवश्यक उपकरणों, वाहनों एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता स्थिति की निरन्तर समीक्षा ।
(ग) सम्भावित आपदा प्रवण क्षेत्रों में संचार संसाधनों की स्थिति की समीक्षा।
(घ) समुचित आपदा प्रबन्धन हेतु बलों को खोज एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण ।
(ड.) आपदा संबंधित अकस्मात कार्यक्रम हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान ।
(च) प्रशिक्षित होमगार्ड, एवं अग्निशमन बलों के कार्मिकों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण ।

**सर्तकता एवं चेतावनी प्रक्रम**

सभी नियत्रंणाधीन ऐजेन्सीयों को पूर्णतया तैयार रहकर अपनी आपदा प्रबंधन से संबंधित आकस्मिक कार्ययोजना के कार्यान्वयन की तैयारी ।

**आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम**

(क) विभाग में चौबीसो घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित रखना एवं आपदा प्रबंधन विभाग में आपात् संचालन केन्द्र से संपर्क रखने हेतु एक संपर्क पदाधिकारी नियुक्त करना ।
(ख) प्रभावित क्षेत्रों में विधि व्यवस्था नियंत्रण रखना ।

(ग) बलो को तैयार रखना ताकि वे अल्प सूचना पर प्रभावित स्थलों पर तैनात हो सके ।

(घ) स्थानीय प्रशासन को सहयोग एवं सहायता प्रदान करना । प्रभावित जनता एवं पशुओं की खोज, बचाव एवं निष्कासन कर सुरक्षित एवं उच्च आश्रय स्थलों में पहुॅचाने हेतु सभी अधिनस्थ ईकाइयों का निदेशित करना ।

(ड.) क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस एवं अन्य अर्द्धसैनिक बलो के कार्यकालापों पर सतत् नियंत्रण रखना ।

(च) पुलिस/अर्द्धसैनिक बलों द्वारा किये गये आपदा प्रबंधन/ पुनर्वास कार्य का मूल्यांकन; जो भविष्य की आपदा आकस्मिक योजना बनाने में उपयोगी होगा ।

(छ) आपदा प्रबंधन कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद पुलिस बलों को वापस बुलाना।

(ज) आपदा के समय प्राप्त अनुभवो के आधार पर भविष्य की आकस्मिक योजना एवं रणनीति तैयार करना ।

## 10. क पुलिस बल

### सामान्य समय

(क) पुलिस बल को समय-समय पर प्राथमिक चिकित्सा, निष्कासन, खोज एवं बचाव एवं राहत कार्यों में प्रशिक्षित कर सतर्क रखना ।
(ख) बाढ़ एवं अन्य आपदाओं के उच्च सम्वेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर पुलिस बल को आपात्कालीन खोज-बचाव, निष्कासन एवं राहत कार्यों हेतु तैयार करना ।
(ग) आधुनिक आपात् सयंत्रों की व्यवस्था एवं विद्यमान संरचना का आधुनिकीकरण करते हुए आपदा अनुक्रिया हेतु इन संयंत्रों का उपयोग करने का नियमित प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास ।
(घ) खोज एवं बचाव कार्य हेतु राज्य पुलिस बल कें अर्न्तगत विशेष आपदाअनुक्रिया बलों/ बटालियनों का गठन एवं ऐसे बलों को उपयुक्त स्थानों पर प्रतिनियुक्त रखना ।

### सतर्कता एवं चेतावनी प्रक्रम

(क)पुलिस मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय मे आपात्-कालीन नियंत्रण कक्ष की
स्थापना तथा आपदा प्रबंधन विभाग के आपात कालीन संचालन केन्द्र से संपर्क बनाये रखने हेतु एक संपर्क पदाधिकारी की नियुक्ति ।
(ख) सभी जिला एव अन्य इकाईयों की आपदा प्रबधन आकस्मिक योजना कार्यान्वयन हेतु अनुदेश निर्गत करना ।
(ग) सभावित/ प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाओं की पहचान एवं उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम ।
(घ)सड़क एवं जल परिवहन हेतु वाहनों की पहचान एवं उन्हें अल्प समय में प्रभावित क्षेत्रों में भेजने हेतु तैयारी ।

(ड.) किसी भी अकस्मात् स्थिति से निपटने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त,
जिला पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी से लगातार संपर्क तथा प्रत्येक स्तर के स्थानीय प्रशासन तथा आपदा प्रबंधन समिति को सभी संभव सहयोग प्रदान करना
(च) सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर आपदा संबंधी सूचना/ संवाद भेजने हेतु पुलिस वायरलेस सुविधा उपलब्ध कराना ।

**आपदा एवं पुर्नवास प्रकम**

(क) स्थानीय प्रशासन के निकट सहयोग से खोज–बचाव तथा निष्कासन अभियान में भाग लेना ।
(ख) प्रभावी विधि–व्यवस्था बनाये रखने तथा निष्कासित जनसंख्या की सुरक्षा हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बलों की व्यवस्था करना ।
(ग) प्रभावित क्षेत्रों में अपराधिक एवं असामाजिक तत्वों एवं गतिविधियों पर विशेष नजर रखना एवं आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध उचित कदम उठाना ।
(घ) राहत शिविरो एवं पारगम्य शिविरों में राहत सामग्रियों एवं प्रभावितों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था करना ।
(ड.) संवेदनशील तटबंधो एवं अन्य खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा प्रहरी उपब्लध कराना
(च) आपदा प्रभावित बस्तियों/ गृहों की सुरक्षा व्यवस्था करना
(छ) मुनाफाखोरों, कालाबजारियों इत्यादि के विरूद्व अभियान में स्थानीय प्रशासन की मदद करना
(ज) आपदा से क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्तियों एवं संरचनाओं की सुरक्षा ।
(घ)क्षतिग्रस्त सडकों, पुलों इत्यादि के आस–पास की आपात् यातायात व्यवस्था का प्रबंधन ।
(ञ)घिरे हुये व्यक्तियों को बचाने तथा लाशों के निष्पादन में स्थानीय प्रशासन की सहायता करना

(ट)राहत शिविरों एवं अन्य स्थानों पर राहत सामग्री वितरण के समय भीड़ एवं विधि व्यवस्था पर नियंत्रण ।

(ठ) भगदड़ संभावित क्षेत्रों, स्थानों, अवसरों की पूर्व पहचान एवं आवश्यक पुलिस व्यवस्था ।

## 10.ख. अग्निशमन बल

### सामान्य समय

(क)आपदा प्रंबधन योजना हेतु एक संर्पक पदाधिकारी को केन्द्र बिन्दु के रूप मे नामित करना ।
(ख) विभाग की संरचना तथा अग्निशमन एवं अन्य आपदा प्रबंधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ।
(ग) ऐसे क्षेत्रों, उधोगों आदि की पहचान, जो अग्नि संवेदनशील हों वहॉ ऐसे आयोजनों की पहचान जहॉ अग्नि, भवन ढहना, भगदड संभावित हो तथा संबंध जनता को सुरक्षा उपायो से सजग एवं प्रशिक्षन कराना ।
(घ) अग्निशमन कार्मिकों को उच्च स्तर की आपदा से खोज–बचाव एवं तैयारी सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण एवं अभ्यास कराते रहना ।
(ड) निजी, सरकारी एवं स्वंय के भवनों, संरचनाओं में अग्नि प्रबंधन मानदंडो का कार्यान्वयन करना ।
(च) स्वंयसेवा संस्थाओ, शैक्षणिक संस्थाओं में स्वंय सेवकों की पहचान कर उन्हें
बाढ़ अग्निशमन एवं अन्य आपदाओं से संबंधित प्रशिक्षण देना तथा उन्हे लोक सम्पतियो एवं खाधान्न गोदामो की सुरक्षा, जनता एवं पशुधन का बचाव एवं निष्कासन, राहत एवं पुनर्वास कार्य हेतु समेकित कार्य योजना के किए प्रशिक्षित कर आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल करने हेतु तैयार रखना ।
(छ) प्रशिक्षत व्यक्तियों की सूचना पूर्ण विवरण के साथ तैयार रखना
(झ) प्रचार–प्रसार सामग्रीः आपदा के समय क्या करें, क्या न करें आदि द्वारा जन–चेतना तैयार करना ।

### सर्त्तकता एवं चेतावनी प्रक्रम

(क) चेतावनी संकेत प्राप्त होते ही अग्निशमन सेवा की सभी इकाईयों को तैयार रहने के लिये आवश्यक कदम उठाने हेतु सर्तक रखना

(ख) अग्निशमन, खोज–बचाव, निष्कासन एवं घायलों के परिवहन का अभ्यास करना तथा जिला प्रशासन एवं अन्य स्थानीय एजेंसियों से मिल कर कार्य योजना समन्वित करना।

**आपदा प्रक्रम**

(क) मुख्यालय, प्रमंडल एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना ।

(ख) आपदा घटित होने की सूचना मिलते ही जिला एवं अनुमंडल स्तर की अग्निशमन इकाईयों का तुरंत स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर उनके निदेशानुसार कार्य प्रारंभ करना । सभी कार्मिक तुरंत निकटतम अग्निशमन पर एकत्र हों एवं उन्हें प्रभावित क्षेत्र में त्वरित भेजा जाये, जहां वे स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज–बचाव, निष्कासन, घायलों का परिवहन, खाद्यान्न भंडार एवं अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनाओं से जल–जमाव पम्प कर निकालने का कार्य करेंगे।

(ग) ढ़ह गये या क्षतिग्रस्त भवनों, क्षतिग्रस्त वाहनों, ट्रेनों, वायुयानों, उद्योगों, बॉयलरों, खदानों इत्यादि में फंसे व्यक्तियों का निष्कासन ।

(घ) पेट्रोलियम, गैस एवं अन्य खतरनाक सामग्रियों के उत्सर्जन से उत्पन्न खतरे की स्थिति पर नियंत्रण ।

(ड.) सम्पत्ति तथा पर्यावरण की अग्नि दुर्घटना से रक्षा के उपाय ।

(च) अन्य कम प्रभावित क्षेत्रों से कार्मिकों को आवश्यकतानुसार बुलाने की व्यवस्था ।

**पुनर्वास प्रक्रम**

आपात् कालीन अभियान की समाप्ति के बाद अग्निशमन बल नीचे इंगित कुछ पुनर्वास कार्यक्रमों में सहायक हो सकता है ।

(क) प्रभावित जनता को खाद्यान्न, शरण एवं विविध सेवायें उपलब्ध कराना.

(ख) सरकारी एवं निजी संपत्ति को बचाना ।

(ग) असुरक्षित इमारतों को गिराना ।

(ध) खोये व्यक्तियों की तलाश कर परिवारजनों से मिलाना ।

(ड) सूचना केन्द्र का संचालन

## 10.ग. असैनिक सुरक्षा विभाग

असैनिक सुरक्षा विभाग, राज्य भर मे फैले हुये स्वंयसेवकों द्वारा आपदा प्रबंधन मे निम्नलिखित गतिविधियों के द्वारा सक्रिय भूमिका निभा सकता है ।

### सामान्य समय

(क) प्राथमिक चिकित्सा, खोज बचाव तथा निष्कासन कार्यो में प्रशिक्षण एवं आपदा होने पर अभियान प्रारम्भ करने का तैयारी ।
(ख) नियमित ड्रील, अभ्यास के द्वारा सतर्क एवं तैयार रहना ।

### आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम

(क) अन्य आपात सेवा एजेन्सियों को प्राथमिक चिकित्सा, खोज बचाव कार्यो मे सहयोग देना, ।
(घ) राहत सामग्रियो के परिवहन एवं वितरण मे सहयोग देना ।
(ड.) प्रभावित जनसंख्या की देखभाल करना एवं उन्हे स्वास्थ्य सेवायें, खाधान्न, शरण पहूॅचाने में सहायक होना ।
(च) सरकारी एवे निजी संपत्ति का पुनःस्थापन एवं मरम्मती
(छ) खोये व्यक्तियो को तलाश का परिवारजनों के पास पहुंचाना ।

## 11. उघोग विभाग

### सामान्य समय

(क) विभाग मे आपदा प्रबंधन हेतु एवं क्रेन्द्र बिन्दु स्थ।ापित करना ।
(ख) सभी औधोगिक संस्थानो द्वारा जन–संसाधन, भंडार, संयत्रों एवं केन्द्रो हेतु प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण ।
(ग) आपदा प्रवण क्षेत्रों की औधोगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन हेतु अग्रिम सुरक्षात्मक कार्रवाई ।
(घ) आपदा प्रवण क्षेत्रों मे फैक्ट्रियों एवं संस्थनो में विभिन्न स्तर पर आपदा के समय की जाने वाली कार्रवाईयो का प्रभावी प्रशिक्षण–कार्यक्रम एवं पूर्वाभ्यास आयोजन ।

### आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम

(क) स्थानीय प्रशासन की खोज–बचाव निष्कासन, राहत एवं पुनर्वास कार्यकलापों में विभाग के सभी कार्मियों का पूर्ण सहयोग देने की योजना तैयार कराना ।
(ख) आपदा आने पर सभी औद्योगिक ईकाइयों द्वारा पूर्व निर्धारित आपदा योजना के अर्न्तगत सभी सुरक्षात्मक कार्य करना ।
(ग) आपदा से क्षतिग्रस्त औधौगिक ईकाइयों की मरम्मती एवं पुनःस्थापन हेतु योजना एवं प्राक्कलन बनाना ।
(घ) औधोगिक ईकाईयों के पुनर्वास हेतु परियोजना तैयार कर समर्पित करना एवं आसान शर्ता पर वित्त पोषण कराना ।
(ड.)क्षतिग्रस्त औद्योगिक ईकाईयों को बीमे दावे के भुगतान में सहायता पहुंचाना ।

## 12. श्रम एवं नियोजन विभाग

### सामान्य समय

(क) विभाग में एक सम्पर्क पदाधिकारी को आपदा प्रबन्धन हेतु केन्द्र बिन्दु बनाना।
(ख) फैक्ट्री/ कारखाना निरीक्षण के द्वारा यह सुनिश्चित करना की सभी संस्थानों ने में संभावित आपदा से निबटने के लिये पूर्ण तैयारी कर रखी है ।
(ग) मानव–सुरक्षा संबंधित सभी कानूनी प्रावधानो का औधोगिक संस्थानो एवं कार्य स्थलो (विशेंष कर खतरनाक उधोगों) मे अनुपालन सुनिश्चित करना ।
(घ) सुरक्षा मानदरों को कार्यान्वित करने हेतु फैक्ट्रीयों/ कारखानों का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण ।
(ड.) औधोगिक संस्थानो को समय–समय पर सुरक्षा पूर्वाभ्यास कराना ।

### आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम

(क) खोज–बचाव, निष्कासन एवं पुनर्वास कार्यो में विभाग के कार्मिकों द्वारा स्थनीय प्रशासन को पूर्ण सहयोग देना ।
(ख) औधेगिक संरचना की क्षति का आकलन एवं उसके पुर्नस्थापन हेतु योजना तैयार कर शीघ्र पुनर्वास के प्रयत्न करना, जिससे प्रभावित श्रमिक वर्ग की समस्या का शीघ्र समाधान हो ।
(ग) आपदा के कारण प्रभावित श्रमिको के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था।
(घ) कारखानों, खदान श्रमिकों का आपदा के दौरान हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्त्ति व्यवस्था ।

## 13. सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

आम जनता को साहस एवं क्षमता के साथ आपदाओं का सामना करने एवं उनका मनोबल कायम रखने में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । आपदा प्रभावित लागों के प्रति शेष सामान्यजन को अपने दायित्त्वों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जन चेतना जागरण कराने में भी यह विभाग सहायक हो सकता है । आपदा प्रबंधन में विभाग से निम्न गतिविधियों में प्रभावी भूमिका अपेक्षित है ।

**सामान्य समय**

(क) आपदा पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद में तैयारी एवं बचाव तकनीकों को प्रचलित करने में तथा जागरूकता फैलाने में रेडियो, टेलीविजन, समाचार–पत्रों, चलचित्रों इत्यादि द्वारा समन्वित प्रयास ।
(ख) आपदा के संकेतों एवं उनकी विस्तृत जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार ।
(ग) विभाग की स्वयं की संरचनाओं एवं परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के उपाय करना।
(घ) विभिन्न आपदाओं के सम्बन्ध में क्या करें, क्या न करें इत्यादि सूचनाएं आम जनता में प्रचारित करना ।

**सत्तर्कता एवं चेतावनी प्रक्रम**

(क) विभाग में नियंत्रण कक्ष स्थापित करना एवं आपदा प्रबन्धन विभाग से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने हेतु एक नोडल सम्पर्क पदाधिकारी नामित करना ।
(ख) मौसम विभाग से जानकारी प्राप्त कर सत्तर्कता एवं चेतावनी संकेतों का सम्यक् प्रचार–प्रसार ।
(ग) बाढ़ के समय मौसम बुलेटिन का संग्रहण एवं त्वरित प्रचार; जिससे जन साधारण बास्तविक स्थिति से अवगत रहे ।

**आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम**

(क) यह सुनिश्चित करना कि जो समाचार प्रसारित हो रहे हैं वे वास्तविक स्थिति का सही प्रदर्शन करते हैं एवं जनता को अनावश्यक आशंकित नहीं करते।
(ख) आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं एवं अनुदेशों का प्रचार प्रसार ।
(ग) समाचार–पत्रों एवं अन्य माध्यमों की सही जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्रकारों के क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना ।
(घ) आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत की आवश्यकता की सही जानकारी देना एवं जन–समुदाय को सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करना ।

## 14. योजना एवं विकास विभाग

आपदा न्यूनीकरण एवं पुनर्वास परियोजनाओं के साथ–साथ सामान्य विकास योजनाओं में भी आपदा प्रबन्धन का समावेश किया जाना अनिवार्य है । विभाग के द्वारा निम्न गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

**सामान्य समय**

(क) विभिन्न विकास योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं यथा तटबंधों का निमार्ण–सुदृढ़ीकरण, वानिकी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क–निमार्ण, राहत एवं निष्कासन प्रयोजन हेतु आवश्यक/संचार व्यवस्था, उच्च आश्रयस्थलों का निमार्ण आदि को यथोचित प्राथमिकता देना ।
(ख) आपदा प्रबन्धन पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सुझाव एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के प्रावधान के अनुसार आपदा प्रबन्धन हेतु योजना उद्व्यय कर्णाकित करना ।
(ग) राज्य के विभिन्न प्रक्षेत्रों की योजनाओं को सूत्रीकरण करते समय, आपदा प्रबन्धन को नियमित योजना प्रक्रिया में समन्वित करना ।

**आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम**

(क) आपदा से हुई क्षति का आकलन कराना ।
(ख) क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मती एवं पुन:स्थापन हेतु योजना उद्व्यय का निर्धारण ।

## 15. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार में सुरक्षित पेयजल की निरंतर आपूर्ति व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का है, यह कार्य आपदा के समय अति महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सुरक्षित पेयजल न रहने के कारण जन साधारण को प्रदूषित पेयजल का सेवन कर उपयोग करना पड़ता है जिससे प्रभावित क्षेत्र में आन्त्रशोध, डायरिया एवं अन्य महामारी के प्रकोप की सम्भावना रहती है । लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निम्न गतिविधियों हेतु योजना तैयार करनी चाहिए ।

**सामान्य प्रक्रम**

(क) आपदा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर इन क्षेत्रों में निरन्तर सुरक्षित स्वच्छ पेयजल आपूर्त्ति हेतु पर्याप्त नलकूपों की व्यवस्था ।
(ख) प्रत्येक त्रैमाह में नलकूपों की मरम्मति के लिए आवश्यक कलपुर्जो की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक पर्याप्त भंडारण तैयार रखना ।
(ग) प्रत्येक त्रैमाह में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्धता की समीक्षा कर पर्याप्त आवश्यक भंडार तैयार रखना ।
(घ) आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ एवं कम मूल्य के जल–रोधी शौचालयों को प्रचलित करना ।
(ड.) राहत शिविरों, बाढ़ आश्रयस्थलों एवं अन्य क्षेत्रों में वितरण हेतु नलकूपों एवं स्वच्छ जलरोधी शौचालयों का स्टॉक सृजित रखना ।
(च) आपात्स्थिति से निपटने हेतु नगद राशि की व्यवस्था ।

**सत्तर्कता एवं चेतावनी प्रक्रम**

(क) आपदा सम्भावित क्षेत्रों में लगाये राहत शिविरों में उपयोग हेतु स्वच्छ पेयजल, हैलोज़न टैबलेट, ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
(ख) आने वाली आपदा से क्षति कम हो, इस उद्येश्य से यथासम्भव स्वच्छता संरचनाओं, नलकूप प्लैटफार्म को उंचा करने की सुरक्षात्मक व्यवस्था करना ।
(ग) सम्भावित क्षेत्रों में उपयोग हेतु नलकूप मरम्मती कलपूर्जो के भंडार की त्वरित समीक्षा एवं अतिरिक्त भंडारण हेतु प्रयास ।
(घ) नलकूपों एवं अन्य पेयजल आपूर्त्ति के संसाधनों की त्वरित मरम्मती हेतु तकनीकी दल गठित कर अल्प सूचना में प्रस्थान हेतु तैयार रखना ।

**आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम**

(क) प्रभावित क्षेत्रों में नलकूपों/जल आपूर्ति संसाधनों की मरम्मति हेतु तकनीकी दलों को भेजना ।
(ख) जहां सामान्य पेयजल आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तो वहां टैंकर्स एवं अन्य साधनों से जल आपूर्ति व्यवस्था करना ।
(ग) जल श्रोतों की सफाई एवं उन्हें रोगाणु मुक्त करने की व्यवस्था ।
(घ) अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुचारू जलापूर्त्ति व्यवस्था ।
(ड.) आश्रयस्थलों, राहत शिविरों में स्वच्छता बनाए रखने हेतु ब्लीचिंग पाउडर की पर्याप्त आपूर्त्ति करना ।
(च) नलकूपों, जल आपूर्त्ति प्रणालियों की मरम्मति/पुनःस्थापन की त्वरित व्यवस्था का कार्यान्वयन कराना ।

## 16. पथ निमार्ण विभाग

किसी भी आपदा स्थिति में सहाय्य सामग्री एवं कार्मिकों के परिवहन हेतु निर्बाध सड़क सम्पर्क बनाये रखना अनिवार्य है । पथ निमार्ण विभाग द्वारा निम्न गतिविधियों हेतु योजना बनाना अपेक्षित है ।

(क) विभाग के आपदा प्रबन्धन कार्य हेतु केन्द्र बिन्दु के रूप में एक नोडल पदाधिकारी को नामित करना ।
(ख) पूर्व अनुभवों के आधार पर आपात् तैयारी योजना की नियमित समीक्षा करना एवं आवश्यक सड़क सम्पर्कों को बनाए रखने हेतु विभाग के पदाधिकारियों को मार्ग–निर्देश निर्गत करना ।
(ग) विभाग के नियंत्रणाधीन पुलों, कलभर्टों, सड़कों की मरम्मती एवं पुनःनिर्माण हेतु पर्याप्त निधि की व्यवस्था, ताकि वे बाढ़ के समय सुरक्षित रहे ।
(घ) उन महत्वपूर्ण सड़कों एवं पुलों पर गश्ती करवाना जहॉ आपदा से क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो ।
(ड.) आपात्कालीन सड़क मरम्मती एवं अस्थायी पुलों के निर्माण हेतु सामग्री को तैयार रखना ।

### सतर्कता एवं चेतावनी प्रक्रम

(क) विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना एवं आपदा प्रबन्धन विभाग के आपात् संचालन केन्द्र से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना ।
(ख) संवेदनशील पुलों एवं सड़कों पर गश्ती बलों को सदृढ़ करना ।
(ग) संभावित आपदा क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार परिवहन एवं अनुरक्षण सयंत्रों का एकत्र कर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में भेजना ।
(घ) महत्वपूर्ण सरचनाओं, निर्माण सामग्रियों उपकरणों के भंडार आदि को क्षतिग्रस्त होने से बचाव हेतु आवश्यक कदम उठाना ।

(ड.) राहत सामग्री एवं कार्यकर्त्ताओं के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्गो को पहचान करना ।

**आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम**

(क) सडकों एवं पुलों की मरम्मती हेतु आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करना एवं प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित भेजना ।
(ख) सामान्य सड़क सम्पर्क के बाधित होने पर पूर्व में पहचाने गये वैकल्पिक सडकों से परिवहन सम्पर्क स्थापित करना ।
(ग) आपदा प्रभावित क्षेत्रों मे विभागीय संयन्त्रों, सरचनाओं एवं भंडार की स्थिति का जायजा लेकर उन्हें सुरक्षित करना ।
(घ) विनष्ट/ क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों की आपात् मरम्मती/ पुनर्निमाण योजना बनाना एवं आवश्यक निधि का आकलन ।
(ड.) सड़कों, पुलों, पुलियों की क्षति का त्वरित आकलन करना एवं पुनर्निर्माण योजना बनाना, आवश्यक निधि का आकलन ।
(च) स्थायी/अस्थायी रूप से सड़क सम्पर्क कायम रखने हेतु संभव उपाय करना, जिससे कि प्रभावित जनता को सहायता मिल सके ।
(छ) आपदा में प्राप्त पूर्व अनुभवों के आधार पर भविष्य के लिए सुदृढ़ एवं दीर्घ कालीन सम्पर्क योजना तैयार करना ।

## 17. ग्रामीण विकास विभाग

अपनी सामान्य गतिविधियों एवं अपने स्वयं की कार्य योजना के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग से आपदा प्रबंधन के रूप में निम्न कार्य आपेक्षित है।

**सामान्य प्रक्रम**

(क) किसी एक पदाधिकारी को आपदा प्रबंधन के लिए केन्द्र विन्दु के रूप में नामित करना ।
(ख) कृछ चुनी हुई गति विधियों में उदाहरणार्थ– सामुदायिक भवनों ग्रामीण भवनों, ग्रामीण सड़को के निर्माण इत्यादि में बाढ़ सुरक्षा एवं भूकपरोधी तकनीक को समुचित स्थान देना ।
(ग) आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से ग्रामीण समुदाय के लिए आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण का प्रबंधन करना ।
(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबधन समितियो को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहयोग

**आपदा एवं पुर्नवास प्रकम**

(क) आपदा के दौरान बेरोजगार हुए लोगों के लिये रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना ।
(ख) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनता की पहचान कर उन्हें सहायता–समुदाय, आपदा प्रभावित स्वयंसेवी संस्थाओं इत्यादि के द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से सहायता पहुॅचाना ।

## 17. (क). पंचायती राज

(क) जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर आपदा से बचाव एवं न्यूनीकरण के लिए योजना तैयार करना ।
(ख) आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामो पर चुने जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।
(ग) आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामो पर जनसाधारण एवं पंचायत सदस्यों के लिए जन जागरण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण का आयोजन ।
(घ) सामुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं को प्रोत्साहित करना एवं प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
(ड.) ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा का मुकाबला करने के लिये तकनीकों/ उपायों को बेहतर संवाद, स्थानीय भंडारण, खोज एवं बचाव उपकरण द्वारा को सुदृढ़ करना।
(च) उचित स्थानों पर आपदा के समय उपयोग आने वाले शरण स्थलों का निर्माण करना ।
(छ) आपदा प्रवण क्षेत्रों में सभी विकास योजनाओं/ कार्यक्रमों में आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन को शामिल करना ।
(ड.) पंचायत में हो रहे भवन निमार्ण में भूकम्परोधी तकनीक का समावेश करना।

**आपदा प्रक्रम**

(क) आपदा के दौरान अवरूद्ध हुए नालों, सड़क, जल निकासी के मार्गो को खोलने /साफ करने की समुचित व्यवस्था ।
(ख) गॉवों में ध्वस्त हुई संचार व्यवस्था को वैकल्पिक मार्गो की व्यवस्था कर दुरूस्त करना ।
(ग) आपत् सहायता केन्द्र एवं शरण स्थलों को चालू करना ।
(घ) प्रशासन की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था एवं चिकित्सीय कार्यो में मदद करना ।
(ड.) आपदा के बाद हुई क्षति आकलन प्रक्रिया मे भाग लेना ।
(च) खोज-बचाव प्राथमिक सहायता इत्यादि में सहयोग करना ।

## पुनर्वास प्रक्रम

(क) क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, लोक संरचनाओं की मरम्मत एवं पुनःस्थापन में सहायता ।
(ख) राहत एवं पुनर्स्थापन सामग्री वितरण में ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंधन में सहायता करना ।
(ग) पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को समुदाय, स्वयसेवी संस्थनाओं एवं अन्य विकास संगठनों के माध्यम से पुनर्वास कार्यक्रमों में एक प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने के लिये प्रशिक्षित करना ।
(घ) चुने प्रतिनिधियों द्वारा पुनर्वास एवं पुनस्थापन के कार्यो में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा आकलन करना ।

## 18. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग

(क) आपदा प्रबंधन के लिए एक सुद्वढ़ डाटावेस तैयार करने की क्षमता का विकास ।

(ख) वैज्ञानिक आधार पर क्षति आकलन के लिए उपर्युक्त तकनीकी विकसित करना ।

(ग) विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों यथा भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय आई.एस.आर0ओ0, एन0आर0एस0ए0, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, तालमेल कर राज्य में प्रभावी आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने के लिए उपयोगी आकड़े प्राप्त करना उनका विश्लेषण करना ।

(घ) आपदा प्रबण क्षेत्रों में माईक्रोजोनेशन एवं जोखिम आकलन करने की कार्रवाई करना ।

(ड.) मीटिगेशन एवं रिस्पोस योजना के लिए आवश्यक आकड़े/सूचना उपलब्ध कराना ।

(च) नई तैयार किये जाने वाली परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन आयाम को शामिल करने के लिये तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना ।

## 19. परिवहन विभाग

परिवहन विभाग द्वारा अपनी सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निम्न कार्य अपेक्षित है ।

(क) विभिन्न प्रकार वाहनों की संख्या, क्षमता पंजीकृत वाहनों के आकड़े इत्यादि की पहचान, जो आपदा के समय प्रयोग लाये जा सके ।
(ख) चुनाव प्रक्रिया की तर्ज पर आपदा के समय वाहनों के धिग्रहण के संबंध में नियम ।
(ग) आपदा में घिरे व्यक्तियों के निष्कासन हेतु परिवहन की व्यवस्था ।
(घ) बचाव, निष्कासन राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों में स्थानीय प्रशासन को समुचित सहायता ।
(ड.) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य एवं अन्य राहत सामग्री पहुँचाने में सहायता ।

## 20. शहरी विकास विभाग

(क) भूकंपरोधी भवन निर्माण नियमावली तैयार कर उनका द्वढ़तासे पालन कराना सुनिश्चित कराना ।

(ख) कमजोर एवं आपदा के समय क्षतिग्रस्त होने की संभावना वाले भवनों/ संरचनाओं की पहचान कर उनकी रेट्रोफिटंग या ध्वस्त करने की कार्रवाई ।

(ग) जीवन रेखा भवनों की सुरक्षा एवं भुकंपरोधी क्षमता को सुनिश्चित करना ।

(घ) विभिन्न परियोजनाओ के विभिन्न स्तरों पर भुकंप वैद्यता न्यूनीकरण को स्थापित करना।

(ड.) नगरीय निकायों को तकनीकी एवं कानूनी सहायता के माध्यम के अधिक सक्षम बनाना ।

(च) स्थानीय निकायो एवं नागरिक संगठनों को आपदा प्रबंधन से संबंधित नियमों की कारगर अनुपालन प्रक्रिया में शामिल करना ।

(छ) शहरी स्थानीय निकायों के लिए खोज–बचाव उपकरणों का प्रबंधन करना ।

(ज) स्थानीय नगरीय निकायों एवं शहरी विकास प्राधिकारो के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना ।

## 21. जल संसाधन विभाग

अपनी निजी सामान्य गतिविधियों एक अकास्मिक कार्य योजना(कन्टिजैंसी एक्शन प्लान) के अतिरिक्त विभाग से निम्न बिन्दुओं पर कार्रवाई अपेक्षित है ।

**सामान्य समय**

(क) बाढ़ भविष्यवाणी एवं चेतावनी केन्द्रों में सुद्वढ़ प्रबंधन एवं आवश्यक सुधार कर संबंधित प्राधिकार को सूचित करना ।
(ख) बाढ़ के मौसम से पूर्व बाढ़ सूचना केन्द्र स्थापित करना ।
(ग) ससमय स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूचना उप–केन्द्रो की स्थपाना ।
(घ) मॉनसुन के दौरान सभी मुख्य नदियों के जल स्तर के आकड़े संग्रह करना ।
(ड.) नियमित रूप से सभी संबंधित को प्रतिदिन मौसम के बारे में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना एवं प्रेस बुलेटिन निकालना ।
(च) चेतावनी स्थिती के विषय में आपदा प्रबंधन एवं जिला प्राधिकारों को ससमय सूचित कराना ।
(छ) आपदा प्रवंधन विभाग के आकास्मिक संचालन केन्द्र(ई0ओ0सी0) से तारतम्य के लिए एक पदाधिकारी को केन्द्र बिन्दु के रूप में नियुक्त करना ।
(ज) नदीयों के तटबन्धों, स्ल्युस–गेट एवं लॉक–गेट की विशेष मरम्मति के लिए बजट का प्रावधान ।
(झ) आकस्मिक प्रतिक्रिया (रिस्पोन्स) के लिए आवश्यक सामग्रीयों की पहचान कर उन्हें व्यवस्था में रखना ।

**चेतावनी प्रक्रम**

(क) किसी भी आकस्मिक चुनौती की पहचान एवं सामना करो के लिए सामग्रीयों की समूचित व्यवस्था ।

(ख) तटबन्धो में आयी दरारों को पाटने के लिए बोरों की पयार्प्त व्यवस्था ।
(ग) चूँकि आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) अप्रत्याशित आती है; अतः इससे बचाव के लिए सभी आवश्यक तन्त्र यथा दूरभाष, टैलेक्स बेतार व्यवस्था को दुरूस्त रखना ।
(घ) तटबन्धो में संभावित दरार. सुराखों इत्यादि की ससमय सुचना के लिए प्रहरियों का प्रबन्ध करना तथा ऐसी सूचना को शीघ्र सबंधित केन्द्र तक पहुँचाने की व्यवस्था ।
(ड) उपर्यूक्त संभावित दुर्घटना की शीघ्र रोकथाम के लिए बाढ के मौसम में सामग्री का यथोचित भंडारण कर उचित स्थान पर रखना ।
(च) अधीनस्थ सभी पदाधिकारी/ कर्मचारियों को जीवन, स्टॉक की सामग्री एवं उपकरणों की सुरक्षा के लिए सजग रखना। इसके लिए आवश्यक है कि सभी सामान एवं उपकरणो को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए ।

**आपदा प्रक्रम**

(क) सूचना एवं बाढ़ नियंत्रण केन्द्र को चौबीस घंटे कार्यारत रखना एवं विभाग के पदाधिकारी को आपदा प्रबंधन विभाग के आपात् नियंत्रण कक्ष से संपर्क हेतु नामित करना ।
(ख) सभी आवश्यक उपकरणो, प्रतिष्ठानों में हुई क्षति की तुरन्त मरम्मति/ पुनःस्थापन के लियें तकनीकीं कर्मिकों एवं सामग्री की उपलब्धता सुरक्षित करना ।
(ग) सिंचाई चैनलों, पुलो, कलबर्ट, नियंत्रण कक्ष इत्यादि की सुरक्षा पर अनवरत नजर रखना ।
(घ) तटबन्धो की दरारों को पाटने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
(ड.) स्थानीय प्रशासन को बचाव निष्कासन, राहत कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग देना।
(च) विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा– मुख्य अभियन्ता, अधीक्षक अभियन्ता, कार्यपालक अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओ

को अपने कार्य क्षेत्र की आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों की तरह निम्नलिखित कार्यों में सहयोग करने हेतु निदेशित करना ।

• तटबन्धो की दरार पाटने के लिए सभी तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिशिचित कराने में ।

• क्षति के आकलन एवं बाढ़ के पानी के उतरने के पश्चात पुननिर्माण, पुन:स्थापन एवं मरम्मती के लिए शीघ्रताशीघ्र लम्बी एवं छोटी अवधी की योजनाएँ तैयार करने में ।

(छ) प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की सतत् समीक्षा हेतू पदाधिकारियों का प्रबंध ।

## पुनर्वास प्रक्रम

(क) आपदा से हुई क्षति का तीव्रता से आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार मरम्मती एवं पुननिर्माण की योजना तैयार करना ।

(ख) घरेलु, औद्योगिक परियोजनाओं के नष्ट हुए प्रतिष्ठानो, उपकरणो इत्यादि के पुन:स्थापना की शीघ्रतम व्यवस्था सुनिश्चित करना ।इस प्रकार के कार्यो में कृषि एवं औद्योगिक प्रक्षेत्रों को प्राथमिकता देना अपेक्षित है ।

(ग) स्थानीय प्रशासन एवं अन्य संगठनों को पुनर्वास कार्यक्रमों में बांछित सहयोग देना ।

(घ) भविष्य में बाढ़ की संभाबनाओ को ध्यान में रखते हुए संभावित क्षति से बचाव, सुरक्षा एवं न्यूनीकरण के लिए नयी योजनाएँ तैयार करना ।

(ड.) बाढ़ के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर विभाग की क्षमता में कमीयों का आकलन कर भविष्य में उन्हें दूर करने के प्रयास करना ।

## 22. कल्याण विभाग

अपने सामान्य कर्तव्यों एवं योजनाओं पर अमल करने के साथ साथ कल्याण विभाग से आपदा प्रबंधन क क्षेत्र मे निम्न कार्य अपेक्षित है ।

**सामान्य समय**

(क) विभाग के अधीन सभी एजेन्सीयों द्वारा आपदा प्रबंधन योजना (आकस्मिक योजना) तैयार करना ।
(ख) विभाग में आपदा प्रबंधन के लिए एक पदाधिकारी को केन्द्र विन्दु के रूप में नामित करना ।
(ग) विभाग में आपदा प्रबंधन के लिए स्वयंसेवी समुहो का निर्माण कर उन्हे प्रशिक्षित कर आपदा के समय स्टाक एवं उपकरणों के साथ सहायता हेतु तैयार करना ।
(घ) केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न परियोजनाओ के द्वारा आपदा के दौरान एवं बाढ़ में कमजोर वर्ग यथा–अपाहिजो, बृद्धों, बच्चो, औरतो, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगो को विशेष रूप से सहायता उपलब्ध कराना ।
(ड.) महिलाओं एवं बच्चों के पोषण पर समुचित ध्यान देना ।

**आपदा एवं पुनर्वास प्रक्रम**

(क) बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों में भरपूर सहायता उपलब्ध कराना ।
(ख) स्थानीय प्रशासन की राहत केन्द्र संचालन में सहायता देना ।
(ग) सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारियों को सभी प्रकार के पुनर्वास कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग देना तथा सामान्य स्थिति आने तक इसके लिए कार्य करते रहना ।
(घ) आपदा के दौरान अनाथ हुए व्यक्तियों को सर्वाधिक घ्यान देते हुए उन्हें शरणस्थलों या अनाथालय में पहुॅचाना ।

(ड.) अपाहिजो, विधवाओं, अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष ध्यान देना ।

(च) आपदा प्रभावित लोगों को ट्रामा काउसांलिग में मदद करना ।